

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-494.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

नक्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या

*494- जहाँ, एन.जे.के.

क्या क्षेत्र में विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विभिन्न कम्पनियों को दी गई अति वृहत विद्युत परियोजनाओं (यू. एम. पी. पी.) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विद्युत उत्पादन शुरू करने के लिए प्रत्येक अति वृहत विद्युत परियोजना को दी गई चरण-वार समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि एक भी अति वृहत विद्युत परियोजना पूर्ण उत्पादन स्तर तक नहीं पहुंच पाई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम अति वृहत् विद्युत परियोजना के कार्य को बोली लगाकर प्राप्त करने वाली एल-1 कम्पनी ने दो वर्ष बाद परियोजना से हाथ खींच लिया है;
- (ङ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने कम्पनी पर कोई निर्णीत हर्जाना/दंड अधिरोपित किया है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

ns'k ea अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में राज्य सभा में दिनांक 30.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 494 के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) और (ख) : अवार्ड की गई यूएमपीपी, विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार चालू होने के निर्धारित समय के ब्यौरों सहित अनुबंध में दी गई है।

(ग) : मुंद्रा यूएमपीपी (4000 मेगावाट) पूरी तरह से चालू है और विद्युत का उत्पादन कर रही है। सासन यूएमपीपी की पहली यूनिट (660 मेगावाट) मार्च, 2013 में सिंक्रोनाइज्ड की जा चुकी है।

(घ) से (च) : आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम यूएमपीपी को 29.1.2008 को एल-1 बोलीदाता अर्थात मैसर्स रिलायंस पावर लि. (आरपीएल) को अवार्ड किया गया तथा स्थानांतरित किया गया। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला कीमत निर्धारण के नए विनियमों का उल्लेख करते हुए, जून, 2011 में स्थल पर कार्य रोक दिया। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने कंपनी पर कोई लिक्विडेटेड डैमेज/दण्ड नहीं लगाए हैं क्योंकि मामला यदि कोई है तो, संविदा पक्षों अर्थात विकासकर्ता और प्रापकों के द्वारा पीपीए के प्रावधानों के भीतर ही निपटाया जाना होता है। विद्युत मंत्रालय ने अग्रणी प्रापक अर्थात आंध्र प्रदेश सरकार से पीपीए के अनुसार प्रापकों की ओर से उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है।

आंध्र प्रदेश सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (एपीएसपीडीसीएल) ने 15.3.2012 को आरपीएल की सहायक कंपनी, कोस्टल आंध्र पावर लिमिटेड (सीएपीएल) को पीपीए की समाप्ति और दण्ड के भुगतान/बैंक गारंटी लेने के लिए नोटिस जारी किया। सीएपीएल, ने दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया था और उसने सीईआरसी के समक्ष भी याचिका दायर की है। यह मामला विचाराधीन है।

अनुबंध

nsk es अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में राज्य सभा में दिनांक 30.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 494 के विवरण के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

क्रम सं.	यूएमपीपी का नाम और स्थान	क्षमता (मेगावाट)	पीपीए के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की निर्धारित तिथि (सीओडी)की सूची
1.	मुंद्रा यूएमपीपी, गुजरात	5X800	यूनिट-1 : 08/12 यूनिट-2 : 02/13 यूनिट-3 : 08/13 यूनिट-4 : 02/14 यूनिट-5 : 08/14
2.	सासन यूएमपीपी, मध्य प्रदेश	6X660	यूनिट-1 : 05/13 यूनिट-2 : 12/13 यूनिट-3 : 07/14 यूनिट-4 : 02/15 यूनिट-5 : 09/15 यूनिट-6 : 04/16
3	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी, आंध्र प्रदेश	6X660	यूनिट-1 : 06/13 यूनिट-2 : 10/13 यूनिट-3 : 02/14 यूनिट-4 : 06/14 यूनिट-5 : 10/14 यूनिट-6 : 02/15
4.	तिलैया यूएमपीपी, झारखण्ड	6X660	यूनिट-1 : 05/15 यूनिट-2 : 10/15 यूनिट-3 : 03/16 यूनिट-4 : 08/16 यूनिट-5 : 01/17 यूनिट-6 : 06/17

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3855.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

मि. जे. ए. सिन्हा; कृषि, जल और विद्युत

3855- जे. ए. सिन्हा

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में निर्मित/निर्माणाधीन जलीय बांधों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि लोग असम और अरुणाचल प्रदेश में जलीय बांधों के निर्माण का विरोध कर रहे हैं;
- (ग) यदि हां, तो क्या स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया के दृष्टिगत इन जलीय बांधों का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या यह भी सच है कि असम की राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की है और उस समिति ने इन जलीय परियोजनाओं की समीक्षा करने की सिफारिश की है; और
- (च) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशें क्या हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिन्धिया)

(क)- बारह (12) जल विद्युत परियोजनाएं (1812 मेगावाट) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचालनाधीन हैं। विवरण अनुबंध-I पर हैं। पंद्रह (15) जल विद्युत परियोजनाएं (5231 मेगावाट) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन हैं। विवरण अनुबंध-II पर हैं।

(ख)से(घ)- कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस), ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (एएसयू) इत्यादि जैसे विभिन्न समूह असम में परियोजनाओं के अनुप्रवाह प्रभाव की आशंका के कारण सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) तथा अन्य बड़े बांधों के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इन समूहों द्वारा किए गए जन विरोध के कारण सुबानसिरी लोअर परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर, 2011 से रुका हुआ है।

(ड) और(च)- असम सरकार ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है जो अंतर-अनुशासनिक दृष्टिकोण के साथ जल विद्युत परियोजनाओं के मुद्दे पर सरकार को पूर्ण रूप से समुचित सलाह देगा । समिति की सिफारिशों की प्रति अनुबंध-III पर संलग्न है ।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 30.4.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं0 3855 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचालनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं
(संस्थापित क्षमता 25 मेगावाट से अधिक)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
	सिक्किम		
1	रंगित-III (एनएचपीसी)	60	2000
2	तीस्ता-V (एनएचपीसी)	510	2008
	कुल(सिक्किम)	570	
	असम		
3	कोपीली (नीपको)	200 + 25	1988-2003
4	खानडोंग (नीपको)	50	1984 (2x25)
5	लोअर बोरपानी (कारबी लांगपी)	100	2007
	कुल (असम)	375	
	मणिपुर		
6	लोकटक (एनएचपीसी)	105	1983
	मेघालय		
7	उमीयाम उमतरू IV	60	1992
8	किरदामकुलाइ	60	1997
9	उमीयाम स्टे- I	36	1965
10	मिटडू स्टे-I	126	2012-13
	कुल(मेघालय)	282	
	आंध्र प्रदेश		
11	रंगानदी स्टेज-I (नीपको)	405	2002
	कुल(आंध्र प्रदेश)	405	
	नागालैंड		
12	दोयांग (नीपको)	75	2000
	कुल(नागालैंड)	75	
	कुल(पूर्वोत्तर)	1242	
	सकल योग(पूर्वोत्तर + सिक्किम)	1812	

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 30.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3855 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कार्यान्वयन एजेंसी	चालू होने का संभावित वर्ष
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश				
1	सुबनसिरी लोअर	2000	एनएचपीसी	2016-17
2	कामेंग	600	नीपको	2016-17
3	पारे	110	नीपको	2014-15
कुल(अरुणाचल प्रदेश)		2710		
मेघालय				
4	नई उमतरू	40	एमईएसईबी	2014-15
कुल (मेघालय)		40		
मिजोरम				
5	तूरियल	60	नीपको	2016-17
कुल(मिजोरम)		60		
सकल योग (पूर्वोत्तर)		2810		
सिक्किम				
6	चूजाचेन	99	मैसर्स गति इंफ्रा लि.	2013-14
7	तीस्ता- III	1200	मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लि.	2014-15
8	तीस्ता- VI	500	मैसर्स लैंको इनर्जी प्रा. लि.	2015-16
9	रंगित-IV	120	मैसर्स जल पावर कार्पो लि.	2014-15
10	जोरेथांग लूप	96	मैसर्स ट्रांस इनर्जी लि.	2014-15
11	भरमे	51	मैसर्स गति इंफ्रा लि.	2014-15
12	तासीदींग	97	मैसर्स सिंघा इनर्जी प्रा. लि.	13 वीं योजना
13	डीक्चू	96	मैसर्स स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	13वीं योजना
14	रंगित-II	66	मैसर्स सिक्किम हाइड्रो पावर वेंचर लि.	13वीं योजना
15	रोगनीचू	96	मैसर्स मध्य भारत पावर कॉर्पो लि.	13वीं योजना
कुल(सिक्किम)		2421		
कुल(पूर्वोत्तर + सिक्किम)		5231		

राज्य सभा में दिनांक 30.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3855 के भाग (ङ) एवं (च) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

मंत्रि समूह की सिफारिशें

भाग-I

1. लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना

भूमिका

मंत्रि समूह ने नोट किया कि सुबानसिरी नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण 1955 से लंबे समय से चलता आ रहा था। ऐसे अन्वेषणों के आधार पर ब्रह्मपुत्र मंडल ने 1983 में 20,000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए बहु-उद्देश्यीय परियोजना के मॉडल का प्रतिपादन किया था और विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों, एनजीओ, जन सामान्य और असम की तत्कालीन सरकार ने परियोजना का समर्थन किया था। विभिन्न पणधारियों के साथ किए गए परामर्श से, जीओएम ने पाया कि अधिकतर समूह और संगठन जिनसे परामर्श किया गया था, बांध की सुरक्षा के बारे में जल को अनियमित रूप से छोड़ने के अनुप्रवाही प्रभाव के बारे में भूगर्भीय संरचना संबंधी आशंका से चिंतित हैं जिससे नदी का अनुप्रवाही भाग बार-बारी से सूखता रहेगा और बाढ़ग्रस्त होता रहेगा जिससे जलीय वनस्पति और जीव जगत नष्ट होगा और भू-क्षरण होगा; यह समझा गया स्कीम को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, वनीकरण, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण, ऊपरी प्रवाह आवाह/जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, के संदर्भ में लाभदायक बहु-उद्देश्यीय स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए था जबकि अधिकतर प्रभावित जनसंख्या अनुप्रवाह में रहती है तथा अनुप्रवाही प्रभावों से निपटने के संबंध में पर्याप्त रूप से परामर्श नहीं किया गया था। अतः मंत्रि समूह ने यह विचार किया कि मुद्दे को जनहित में हल करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक सोच अपनानी होगी।

1) सभी विरोधी संगठनों द्वारा व्यक्त की गई एक चिंता सुबानसिरी बांध की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में थी। एक आम बिन्दु उठाया गया था कि बांध का निर्माण सक्रिय सेस्मिक क्षेत्र 5 में अति अस्थिर सेस्मोटेक्टोनिक भूगर्भीय अवसंरचना पर किया जा रहा है। विशेषज्ञ दल ने भी सुझाव दिया था कि परियोजना के लिए 10 किलोमीटर फोकल गहराई पर एम-8.0 भूकंप के लिए 0.38 पीजीए मूल्य के रूप में विचारित सेस्मिक डिजाइन पैरामीटर लगभग अपर्याप्त ही था।

इस विशिष्ट बिंदु पर, जीओएम ने नोट किया कि बांध की सुरक्षा और स्थायित्व की जाँच करने और सुनिश्चित करने के लिए डा. सी.डी. थाट्टे एवं एम.एस.रेड्डी जैसे प्रख्यात विशेषज्ञों वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन भारतीय योजना आयोग द्वारा पहले ही किया जा चुका है। बांध सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए जीओएम डा. सी.डी. थाट्टे समिति की रिपोर्ट का संदर्भ देना चाहेगा जिसे अभी प्रस्तुत किया जाना था।

2. जीओएम का यह भी विचार है कि विरोध प्रदर्शक लोगों की आशंकाओं को दूर करने के क्रम में, कुछ विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए स्यूडो स्टैटिक तथा डायनामिक विश्लेषण करवाए जाएं ताकि बांध की सुरक्षा और स्थायित्व के प्रश्न का उत्तर दिया जा सके और जन सामान्य में भरे गए डर को पूरी तरह से दूर किया जा सके।

3. जीओएम ने यह सिफारिश भी की है कि डा. सी.डी. थाट्टे समिति की रिपोर्ट उपलब्ध होते ही, जन-सामान्य की उपस्थिति में, आसू की ओर से गठित विशेषज्ञ समूह, थाट्टे समिति तथा भूकंप अभियांत्रिकी, भू-गर्भीय विज्ञान, संरचनात्मक अभियांत्रिकी, बांध डिजाइनिंग इत्यादि पर पर्याप्त अनुभव रखने वाले प्रख्यात विशेषज्ञों के बीच, विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण रूपेण इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया जाए।

4. जीओएम ने पाया कि एलएस एचपीपी के अनुप्रवाही प्रभावों की जाँच करने के लिए भारत सरकार द्वारा संयुक्त संचालन समूह का भी गठन किया गया था जिसमें व्यावसायिक निकायों, संस्थानों इत्यादि के अन्य विशेषज्ञों के अतिरिक्त, परियोजना अधिकरण साथ-ही-साथ असम सरकार के विशेषज्ञ शामिल हैं। संयुक्त संचालन समूह की सिफारिशों के आधार पर, एलएसएचपीपी के लिए स्पिल्वे प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ अनुप्रवाह में तटीकरण के निर्माण, नदी नियंत्रण तथा खुदाई संबंधी कार्यकलापों जैसे ठोस अनुप्रवाही उपाय शामिल किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, जीओएम ने सिफारिश की है कि अनुप्रवाह में शीतकालीन मौसम के ऑफ-पीक घंटों सहित हर समय न्यूनतम जल प्रवाह (260 क्यूमेक्स) को बनाए रखा जाए।

5. जीओएम ने नोट किया कि ब्रह्मपुत्र मंडल की बहु-उद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना की मूल योजना में अनुप्रवाही क्षेत्रों के लिए बाढ़-कुशन का प्रावधान रखना था जिसे वर्ष 2000 में एलएसएचपीपी के क्षेत्र तक सीमित करते हुए मूल परियोजना को घटाते हुए संशोधित किया गया था। जीओएम ने पाया कि बहुउद्देश्यीय परियोजना, विशेषकर बाढ़कुशन के प्रावधान से साथ न केवल जल संसाधन का पूर्ण और व्यापक उपयोग करने में समर्थ होगी, बल्कि बड़ी संख्या वाली अनुप्रवाही जनसंख्या को भी आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। परामर्श के दौरान, विख्यात जलविज्ञानी तथा आईआईटी, रूड़की के प्रोफेसर डा. नयन सरमा ने सुझाव दिया कि इस चरण पर भी एलएसएचपीपी बांध के अनुप्रवाह में उपयुक्त स्थलों पर "पियानो की वेयर" प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू करके नए आयाम जोड़ सकती है। "पियानों की वेयर" संरचना निम्नलिखित विशेषताओं के अतिरिक्त संयत बाढ़ कुशन प्रदान करते हुए जल अवरुद्ध क्षमता को बढ़ाएगी।

(क) "गोल्डन महशीर" जैसी मछली की विभिन्न देशीय प्रजातियों तथा दुर्लभ नदी डॉल्फिंस सहित स्थानीय जलीय जीवों का संपोषण करना।

(ख)- अनुप्रवाह पर "पियानों की वेयर" के दोनों ओर सिंचाई जलाशय प्रदान करना।

(ग) प्रवाह तल उठाव/वेयर के ऊपरी प्रवाह में भूमिवृद्धि को प्रतिबंधित करना।

(घ) भूमिगत जल स्तर को अपेक्षित स्तर तक बनाए रखना।

जीओएम सिफारिश करता है कि एनएचपीसी को एलएसएचपीसी बांध के "पियानों की वेयर" अनुप्रवाह की संकल्पना की जाँच करना चाहिए तथा इसे प्रयोग में लाना चाहिए जो कि डा० नयन सरमा के अनुसार लागत प्रतिबंधक नहीं होगी तथा परियोजना लागत को इस चरण पर भी अव्यवहार्य सीमा तक नहीं बढ़ाएगी।

6) सीपीएसयू द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाएं गाडगिल सूत्र के द्वारा निर्धारित अंतर-राज्य विद्युत सहभाजन प्रणाली के अध्याधीन होती हैं। इसके अनुसार, मेजबान राज्य को, उपलब्ध क्षमता से उत्पादित विद्युत का 12% भाग निःशुल्क आबंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन विद्युत के क्रय के लिए सहभाजक राज्यों में विभाजित किया जाता है। जहां तक एलएसएचपीपी का संबंध है जीओएम सुझाव देगा कि केवल मेजबान राज्य को निःशुल्क विद्युत देने के मौजूदा पैरामीटर में संशोधन किया जाए और निःशुल्क विद्युत का समान हिस्सा पास के अनुप्रवाही राज्य अर्थात असम को प्रदान किया जाना चाहिए ताकि पास के अनुप्रवाही क्षेत्रों में एलएचएचपीसी के प्रतिकूल प्रभावों की क्षतिपूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले 2005 में आश्वासन दिया गया था, असम को एलएसएचपीसी से न्यूनतम 600 मेगावाट क्रययोग्य विद्युत दी जानी चाहिए।

भाग-II

II अरुणाचल एवं असम से होकर बह रही नदियों पर अन्य विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर

1. जीओएम पाता है कि असम को तब बहुत लाभ मिलेंगे जब नीपको, एनएचपीसी अथवा एनटीपीसी जैसी केंद्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादक कंपनियां पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं प्रारंभ करेंगी क्योंकि असम को गाडगिल सूत्र की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना से विद्युत का इसे देय हिस्सा दिया जाना है। तथापि, "मर्चेट विद्युत उत्पादकों" पर गाडगिल सूत्र लागू नहीं है। मेजबान राज्य के हिस्से को छोड़कर (उनके द्विपक्षीय एमओयू की शर्तों के अंतर्गत जो भी लाभ हो), निजी विद्युत उत्पादक अपनी उत्पादित विद्युत का सहभाजन, यहां तक कि पड़ोसी राज्य का साथ करने के लिए भी बाध्य नहीं होता है जब तक कि विशिष्ट सौदा पूरी तरह से वाणिज्यिक शर्तों पर न किया गया हो। जीओएम को लगता है कि ऐसी आशंका है कि ब्रह्मपुत्र के ऊपरी क्षेत्रों में बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं प्रारंभ कर रही निजी कंपनियां अनुप्रवाही क्षेत्रों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं दिखाएंगी। परंतु जीओएम ऊपरी प्रवाह की जल विद्युत परियोजनाओं से उपाार्जित विद्युत से ज्यादा, अन्य कुछ विकासों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जिन पर अभी नियंत्रण नहीं किया गया तो असम पर भविष्य में अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेंगे जो निम्नलिखित हैं-

1.1 ऐसी सूचना है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ब्रह्मपुत्र बेसिन के ऊपरी क्षेत्र में, 163 जल विद्युत परियोजनाओं की संभाव्यता चिन्हित की है जो सभी अरुणाचल प्रदेश में हैं। 163 में से कुल 86 जल विद्युत परियोजनाएं 48,167 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ चिन्हित की गई हैं जिनके लिए अरुणाचल प्रदेश में विगत कुछ वर्षों में निश्चित रूप से विकास हुआ है। अंत तक 5870 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की 4 परियोजनाएं एनएचपीसी/नीपको को सौंपी जा रही हैं जबकि 27520 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 74 परियोजनाएं विभिन्न निजी एजेंसियों को आबंटित की जा रही हैं। शेष 8 परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं।

1.2 इन परियोजनाओं में से अधिकतर नदी के सतत प्रवाह (आरओआर) वाली स्कीमें बनाई गई हैं जिसमें कोई भंडारण अथवा बाढ़ संतुलन संघटक नहीं होता है, तथा ये उन नदियों पर बनाई जा रही हैं जो असम के क्षेत्र से होकर बहती हैं। अनुप्रवाह राज्य होने के नाते असम निर्णय लिए जाने की किसी भी प्रक्रिया में एक पक्ष नहीं है, जैसे कि आबंटन शर्तें, डीपीआर तैयार करना, पर्यावरणीय स्वीकृति अथवा ईआईई के निष्कर्षों के लिए विचारार्थ विषय इत्यादि। इसके अतिरिक्त, वर्तमान परिदृश्य में असम के लिए कतिपय परियोजना की मेरिट पर तकनीकी, पर्यावरणीय तथा सामाजिक पहलुओं पर अपर्याप्त तथा अशुद्ध सूचना के आधार पर प्रश्न उठाने की कोई संभावना नहीं है।

1.3 प्रस्तावित सारी 163 हाइड्रो परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम से पूर्व में बनाई जानी हैं जो अनुप्रवाह में असम पर विशाल "छत्र" के रूप में होंगी। यद्यपि इन सभी प्रस्तावित परियोजनाओं में निश्चित रूप से प्रत्येक का ईआईई परियोजना स्थलों के 5-10 किलोमीटर के दायरे को शामिल करते हुए किया जाएगा परंतु असम के लोग नहीं जानते हैं कि इन सभी परियोजनाओं के भविष्य में चालू होने के पश्चात इनका अनुप्रवाह पर क्या संचयी प्रभाव पड़ेगा।

1.4 परियोजना प्राधिकरण सामान्यतः लागत और ऊपरी धारा क्षेत्रों में डूब और अनुवर्ती पुनर्वास मुद्दों के कारण बाढ़ कुशन प्रावधानों को टालते हुए केवल जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर ही ध्यान देते हैं। इन जल विद्युत परियोजनाओं से, ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास कर रहे लोगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल अनुप्रवाही प्रभावों की उन्हें कोई चिंता नहीं है।

2. भारत सरकार की 1866 से यह पारंपरिक नीति रही है कि नदियों के जल का उपयोग आंचलिक अथवा राज्य सीमाओं पर ध्यान दिए बिना इनके मार्ग क्षेत्र में सर्वोत्तम संभव लाभकारी रूप से होना चाहिए। अतः जीओएम वर्तमान नदी बांध मुद्दों के निपटने के लिए निम्नलिखित कार्रवाईयां करने का सुझाव देता है।

2.1 राष्ट्रीय जल नीति की धारा 17.2 के अनुसार, बेहतर बाढ़ प्रबंधन उपाय करने के लिए, जहां संभव हो, ऊपरी धारा परियोजनाओं में पर्याप्त बाढ़ कुशन प्रदान किए जाने चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, दोनों को शामिल करते हुए बहु-उद्देश्यीय बांध परियोजनाओं के निर्माण के लिए संघीय नदीय कानून अधिनियमित किया जाए। ऐसा

कानून इसके केवल एक ही पहलु पर ध्यान दिए बिना, संपूर्ण क्षेत्र के आम लाभ के लिए सभी प्रतिभागी राज्यों पर बाध्यकर हो।

2.2 डीपीआर तैयारी की अवस्था से पहले सभी जल विद्युत परियोजनाओं को कंक्रीट जलाशय विनियम नीति से सम्बद्ध करना है ताकि न्यूनतम और अधिकतम वार्षिक निकासी के बड़े अंतर के मुद्दे के फ्रेमवर्क का पता चल सके। इस जलाशय विनियम नीति में एक ओर जहां प्रतिप्रवाह और स्पिलवे प्रबंधन से जुड़े मुद्दे समाहित होने चाहिए वहीं दूसरी ओर नीति में अनुप्रवाह में नदी प्रशिक्षण और ड्रेजिंग गतिविधियों के लिए विकासकर्ताओं को जबाबदेह भी बनाया जाना चाहिए।

2.3 संकटग्रस्त राज्यों में मुफ्त विद्युत प्रदान करने के मौजूदा मानदंड सिर्फ प्रतिप्रवाह में जलमग्नता के कारण विचार किए जाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है और मुफ्त विद्युत का बराबर भाग तात्कालिक प्रतिप्रवाह राज्य में दुःप्रभाव के आधार पर असम को प्रदान की जानी चाहिए।

3. विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश से असम में आने वाली अनेकों नदियों पर बड़े बांधों के निर्माण में

विद्युत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश से असम में आने वाली अनेकों नदियों पर बड़े बांधों के निर्माण में नित होने वाले विरोधों और धरनों ने उन नदियों पर जो संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से बहती हैं, इनके उपगत रिपेरियन/सहबेसिन अधिकारों के कई मुद्दों को सामने लाता है। जी ओ एम का विचार है कि भारत के लोगों की संपत्ति है और किसी भी राज्य को अन्य रिपेरियन राज्य को क्षति पहुँचाने के लिए जल प्रयोग की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जल संसाधनों के प्रयोग की समानता और बेहतर पर्यावरणीयता को सुनिश्चित करने के लिए, जी ओ एम निम्नलिखित सिद्धांतों की पुनरावृत्ति करना चाहेगा।

3.1 बहु-राज्य नदी जल प्रयोग से जुड़ी कोई योजना या परियोजना का जब निर्धारण किया जाता है तो प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह के साथ-साथ सभी सहबेसिन के हितों को ऐसी योजना से होने वाले लाभों के लिए समान रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए।

3.2 चूंकि, जल से जुड़े मुद्दे जो कि राज्य और उसी देश के राज्य से संबंधित हैं तो नदी जल प्रयोग का सिद्धांत 'राजक्षेत्रीय प्रभुत्व' पर आधारित न होकर 'राजक्षेत्रीय सुव्यवस्था' पर आधारित होनी चाहिए जो राज्य अनुप्रवाह रिपेरियन है उनको नदी के प्राकृतिक प्रवाह का अधिकार हो और प्रतिप्रवाह रिपेरियन इसका प्रयोग तो कर सकें, किंतु जल की मात्रा और गुणवत्ता को बिना परिवर्तन किए बहने देने की अनुमति हो।

3.3 बहुत सारे संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, नदी जल प्रयोग समानता उपयोग और सामुहिक हितों पर भी आधारित होनी चाहिए जिसके लिए अधिकतम उपयोग प्राप्त करने के लिए समान वितरण की आवश्यकता होती है। सामूहिक हितों की पहचान ऐसी होनी चाहिए जिससे पता चले कि जल एक सार्वजनिक सम्पत्ति है और जब इसका बंटवारा हो तब इसको एक यूनिट माना जाना चाहिए। प्रयुक्त तकनीक ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बड़ी संख्या में लोगों के हितों के लिए लाभदायक हो। इन सबको अवधारणा/परिकल्पना से निर्माण और फिर प्रबंधन के संयुक्त प्रयासों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

3.4 राजक्षेत्रीय अखंडता और समानता उपयोग के अतिरिक्त किसी भी मामले में मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ने पर समान संवितरण की अवधारणा सभी दावेदारों के पक्ष में तर्क के लिए आवश्यक होती है, जिसे निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए।

3.5 जब पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण और सुधारात्मक उपायों का सूत्रपात किया जा रहा हो तो सभी रिपेरियन राज्यों के साथ पर्यावरणीय प्रभाव, पुनर्वास उपाय, कृषि, जलीय जीवन, वनस्पति, जीव-जन्तु प्रभावों के परामर्श को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

4. मंत्रियों के समूह ने लखीमपुर और धेमाजी जिलों सहित असम का माजुली नदी द्वीप के एलएसएचपीपी के अनुप्रवाह

पर्यावरणीय प्रभाव से प्रभावित होने की संभावना की पहचान करती है या अन्य जल विद्युत परियोजना की कल्पना की जा रही है। ऐसे ही विशेष पुनर्वास पैकेज का निम्नलिखित सुझाव दिया जाता है।

4.1 केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित राज्य क्षेत्रों में ऐसे जल विद्युत/बहुउद्देश्यी योजना के प्रभावों को सहमति उपायों से कम करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान किए जाने चाहिए।

4.2 परियोजना की निश्चित दूरी तक प्रभावित होने वाले लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाने चाहिए। कृषि और जीवनयापन उद्देश्यों से जुड़े विद्युत उपभोग रियायत को राज्य सरकार द्वारा प्रति कनेक्शन यूनिटों की संख्या को पूर्वनिर्धारित किया जा सकता है, जिसे विद्युत वितरण कंपनी को सीधे भुगतान किया जाए।

4.3 परियोजना के पैकेज को स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। इस पैकेज में, प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों सहित, कटाव संरक्षण, भूमि संरक्षण, बाढ़ सुरक्षा, पेयजल और कृषि विकास और जीवनयापन परियोजनाएं शामिल होनी चाहिए।

5- **बड़बड़ व/; ; u**

मंत्रियों के समूह को जानकारी दी गई कि मौजूदा शर्तों के अनुसार ईआईए अध्ययन सिर्फ बांध स्थल से 10 कि.मी. की दूरी तक ही किए गए हैं। हालांकि परियोजना के अनुप्रवाह पर्यावरणीय प्रभाव से बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में अनुप्रवाह पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। मंत्रियों के समूह का दृढ़तापूर्वक यह मानना है कि अध्ययन में लखीमपुर और धेमाजी जिलों सहित, सुबानसिरी और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम के और भी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।

6. संचयी अनुप्रवाह प्रभाव आकलन

एम ओ ई एफ द्वारा विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अंतिम रूप दिए जाने पर अंतर मंगालई समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर सुबानसिरी और सियांग सब-बेसिन के व्यापक ईआईए अध्ययन (रैपिड ई आई ए अध्ययन सहित) पहले ही केन्द्रीय जल आयोग को सौंपे जा चुके हैं। मंत्रियों के समूह का यह मानना है कि पहचान किए हुए बड़ी संख्या में जल विद्युत परियोजनाओं पर विचार करते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न कार्यकारी प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, असम के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में समग्र संचयी अनुप्रवाह आकलन के लिए आवश्यक है कि इन परियोजनाओं पर प्रभावीरूप से कार्य शुरू करने से पहले इनके अध्ययन किए जाएं।

7. **जल संसाधन प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय निकाय का गठन किए जाएं :**

7.1 ऐसा माना जाता है कि जल संसाधन के प्रति दृष्टिकोण को दोहन से स्थाई प्रबंधन की ओर ले जाने की आवश्यकता है। भूमि संसाधनों की वास्तविक आर्थिक संभावना को समझने के लिए कृषि अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए बाढ़ नियंत्रण भी समानरूप से महत्वपूर्ण है। चूंकि नदियां कई राज्यों से होकर बहती हैं इसलिए जलप्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बहु-राज्यों, बहु-सिद्धांतों और बहु-एजेंसियों के तकनीकी प्रशासनिक और राजनैतिक सभी स्तरों पर आवश्यकता होती है। इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों के प्रबंधन और स्थाई उपयोग को समन्वय और क्रियान्वयन, वैज्ञानिक सुनिश्चितता, समान दक्षता और स्थाई उपयोग को आवश्यक माना जाता है।

7.2 माननीय भारत के प्रधानमंत्री ने 21-22 नवम्बर, 2004 के अपने असम दौरे के दौरान पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण (एन ई डब्ल्यू आर ए) के गठन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के भाषण से संबोधन- "सरकार उत्कृष्ट श्रमशक्ति और संसदीय मंजूरी सहित प्रभावी बाढ़, नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई सुविधा प्रदान करने और बुनियादी ढांचे की विकास, प्रबंधकीय और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिए संजक, स्वायत्तता की स्थापना पर विचार करेगी, ऐसा निकाय क्षेत्र का स्वरूप बदलने में सहायक हो सकेगा।"

7.3 मंत्रियों के समूह ने राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे की धाराएं 2.3,3.2,13.1,13.5 और 14.1 को ध्यान में लेते हुए इसके अनुसार सभी पूर्वोत्तर राज्यों से क्षेत्र में कुशल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण सहित जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास के लिए प्रतिवेदनों सहित क्षेत्रीय निकाय के जल्द निर्माण का अनुरोध करता है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए, इसके जैसे शेष मौजूदा क्षेत्रीय निकाय संगठन जैसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड को समुचित तौर पर व्यापक, सशक्त और जल संसाधन के उचित और समुचित प्रबंधन में कार्मिकों को विस्तृत क्षेत्रीय भूमिका निभानी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3856.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

महोदय, मैं राज्य सरकार से विद्युत मंत्रालय के निर्माण कार्य के बारे में जानकारी चाहता हूँ।

प्रश्न-3856- महोदय, मैं राज्य सरकार से विद्युत मंत्रालय के निर्माण कार्य के बारे में जानकारी चाहता हूँ।

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उत्तराखण्ड में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जल-विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य बंद है;
- (ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका निर्माण कार्य रोका गया है;
- (ग) क्या राज्य सरकार ने इन बंद जल-विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ करने हेतु मंत्रालय से कोई अनुरोध किया है; और
- (घ) यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया गया तथा इस संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

- (क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड की किसी भी जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट तथा इससे ऊपर की क्षमतावाली) के लिए कोई स्टाप नोटिस नहीं जारी किया है।
- (ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3857.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

नकल ?Wh fuxe ds vusंधान vls fodkl
dshz dks euekus < x l s Lfkukrfjr
fd; k t kuk

3857- Mñ vfuy døkj l kgul%

क्या fo | q मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को कोलकाता में साल्ट लेक से मेजिया में स्थानान्तरित किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या उक्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र आईआईटी खड़गपुर के साथ संयुक्त उद्यम था परन्तु केन्द्र को स्थानान्तरित करने के संबध में उससे विचार-विमर्श नहीं किया गया;
- (घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थायी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र बनाने हेतु तीन एकड़ भूमि के आवंटन के बावजूद दामोदर घाटी निगम के प्रबंधन द्वारा इसे स्थानान्तरित किया गया है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा इस संबध में किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी, हां।

(ख) : डीवीसी का अनुसंधान एवं विकास केंद्र 01.01.2008 से 31.12.2010 तक तीन वर्षों के लिए पट्टा करार पर कोलकाता में एक किराये के आवास में स्थित था जिसे 31.12.2011 तक एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। भवन के मालिक ने 31.12.2011 के बाद पट्टे में विस्तार देने से मना कर दिया था। इस

प्रकार डीवीसी के पास कोलकाता में एक वैकल्पिक स्थल ढूँढने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था और एक नये किराये के स्थान पर पुनः सुविधा वाले भवन उपलब्ध कराने के लिए भारी राशि खर्च करनी पड़ती।

मेजिया टीपीएस, डीवीसी के सबसे बड़े ताप विद्युत केंद्र में, आर एण्ड डी केंद्र और इसके भावी विस्तार के लिए आवास की अतिरिक्त क्षमता है। इसलिए, नए आर एण्ड डी केंद्र को मेजिया टीपीएस में स्थानांतरित किया गया है जोकि कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है।

(ग) : जी, नहीं। डीवीसी का आर एण्ड डी केंद्र, आईआईटी, खड़गपुर के साथ एक संयुक्त उद्यम नहीं था। तथापि, सहयोगात्मक दृष्टिकोण से, डीवीसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र का विकास करने और चलाने में 5 वर्षों के सहयोग के लिए 30 सितंबर, 2008 को डीवीसी और आईआईटी, खड़गपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे।

(घ) से (च) : पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) ने डीवीसी को न्यू टाउन, कोलकाता में सैद्धान्तिक उपयोग के अधीन शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं और उत्कृष्टता के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने के लिए तीन एकड़ की माप का भूमि का एक टुकड़ा आबंटित किया है। डीवीसी इस भूमि के परिधि पर चारदीवारी का निर्माण कर रहा है जिसके लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई है। डीवीसी इस भूमि पर एक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करने पर विचार कर रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-3858.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

नसक eafct yh dh MokuMy fLFkr

3858- Jlerh t ; k cPpu%

क्या fo | q मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की डावांडोल स्थिति पर ध्यान दिया है;
- (ख) यदि हां, तो देश में विद्युत उत्पादन क्षमता और विद्युत की मांग का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने बारहवीं योजना में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु कदम उठाया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : देश में अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के दौरान, देश में ग्रामीण क्षेत्रों सहित व्यस्ततम और ऊर्जा कमी क्रमशः 9.0% एवं 8.7% थी। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति और वितरण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का होता है जोकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं/क्षेत्रों (ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र सहित) की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं।

(ख) : 31 मार्च, 2013 तक विद्युत उत्पादन केंद्रों की कुल अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता 2,23,343.60 मेगावाट थी और मांग 1,35,453 मेगावाट थी।

(ग) और (घ) : जी, हां। सरकार की 12वीं योजना अवधि (2012-2017) के दौरान 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना है और 12वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी के लिए प्रक्रियाएं शुरू की हैं। 12वीं योजना के पहले वर्ष में क्षमता अभिवृद्धि 20,623 मेगावाट है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3859.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

तयफो | ञ ifj; क् ukvkdh fLFkr

3859- Mñ pñu fe=ll%

क्या fo | ञ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी उत्पादकों को आवंटित 42000 मे. वा. की संयुक्त क्षमता की जल-विद्युत परियोजनाओं को अभी प्रारम्भ किया जाना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब के कारण क्या हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की मांग और पूर्ति के अन्तर को पूरा करने हेतु देश और विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों की जल-विद्युत उत्पादन संभाव्यता के दोहन हेतु क्या-क्या नये कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : अब तक, 40991.5 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 136 जल विद्युत परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा निजी विकासकर्ताओं को आवंटित की गई हैं जिन्हें अभी निर्माण शुरू किया जाना है। इन परियोजनाओं की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

यह विदित है कि जल विद्युत परियोजनाओं का विकास एक जटिल तथा काफी लम्बी प्रक्रिया है जिसमें लगभग 3 से 5 वर्ष तक का समय लगता है। सर्वेक्षण एवं जांच, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों सहित सांविधिक और गैर-सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति देने, निवेश निर्णय तथा वित्तीय बंदी के लिए काफी अधिक समय की आवश्यकता होती है। परियोजनाओं के वित्तीय बंदी प्राप्त कर लेने पर कार्यान्वयन में 5 से 8 वर्ष तक का अतिरिक्त समय

लगता है। इस प्रकार जल परियोजनाओं की सामान्यतया लम्बी पूर्णता अवधि होती है। इसलिए विकास के अधीन परियोजनाओं के 13वीं योजना के दौरान और उसके बाद शुरू होने की संभावना है।

सरकार ने देश में जल विद्युत विकास के लिए देश की जल विद्युत उत्पादन क्षमता के दोहन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- नियमित स्थल दौरों, विकासकर्ताओं के साथ बातचीत, मासिक प्रगति रिपोर्टों के महत्वपूर्ण अध्ययन आदि के माध्यम से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रत्येक परियोजना की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण महत्वपूर्ण मामलों/गत्यावरोधों को दूर करने के लिए विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन करते हैं।
- जल परियोजनाओं की प्रगति को स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन एवं निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सम्बद्ध अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माणकर्ताओं, राज्य यूटिलिटियों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है।
- जल परियोजना विकास से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं समाधान करने के लिए विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 3.9.2007 को जल विद्युत विकास संबंधी कार्यबल का गठन किया गया था। अब तक पांच बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। पांचवीं बैठक का आयोजन 27.2.2013 को किया गया था।
- विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर आवधिक रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श करने और सेक्टर से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों का सुझाव देने के लिए जनवरी, 2013 में विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह की स्थापना की गई है।

अनुबंध

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति के बारे में राज्य सभा में दिनांक 30.04.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3859 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

राज्य सरकारों द्वारा निजी विकासकर्ताओं को आबंटित और निर्माण हेतु ली जाने वाली जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	विकासकर्ता	स्थिति
क.	सीईए द्वारा स्वीकृत/सहमति दी गई परियोजनाएं और जिनका निष्पादन अभी किया जाना है			
हिमाचल प्रदेश				
1.	कुटेहर (3x80 मेगावाट)	240	मैसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति 31.8.10 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि, अक्टूबर, 2010 की शून्य तारीख से 60 माह। पर्यावरणीय स्वीकृति 5.7.11 को दी गई। चरण-II के लिए वन स्वीकृति 19.2.2013 को प्रदान की गई।
2.	बजोली होली (3x60मेगावाट)	180	मैसर्स जीएमआर बजोली होली हाइड्रो पावर प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति 30.12.2011 को दी की गई। आरंभिक समय दिसम्बर, 2016 है। पर्यावरणीय स्वीकृति 24.1.2011 को दी गई। चरण-II के लिए वन स्वीकृति 26.10.2012 को प्रदान की गई।
3.	मियार एचईपी (3x40)	120	एमएचपीसीएल	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति 07.02.2013 को प्रदान की गई। पर्यावरणीय स्वीकृति 30.07.2012 को दी गई। चरण-I के लिए वन स्वीकृति 27.07.2012 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि शून्य तारीख अर्थात 1 मई, 2013 से 110 माह है।
उत्तराखण्ड				
4.	अलकनंदा (3x100मेगावाट)	300	मैसर्स जीएमआर एनर्जी लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 08.08.2008 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि; मार्च, 2009 की शून्य तारीख से 69 माह। चरण-II के लिए वन स्वीकृति 9.11.2012 को प्रदान की गई।
ओडिशा				
5.	जलापुट डैम टो, (3x6 मेगावाट)	18	मैसर्स ओडिशा पावर कंसोर्टियम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> तकनीकी आर्थिक स्वीकृति 31.01.2003 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि; वित्तीय बंदी से 2 वर्ष। वित्तीय बंदी की तारीख ओपीसीएल द्वारा अभी संचित की जानी है।

				<ul style="list-style-type: none"> जीओएपी ने एपीजेनको को परियोजना सौंपने का निर्णय लिया है। ओडिशा सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
सिक्किम				
6.	पनन (4x75 मेगावाट)	300	मैसर्स हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 7.3.2011 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि; जुलाई, 2011 की शून्य तारीख से 48 माह। पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति 2.1.2007 और 6.10.2010 को प्राप्त की गई। वित्तीय बंदी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीपीए पश्चिम बंगाल के साथ 1.10.2012 को हस्ताक्षरित किया गया।
अरुणाचल प्रदेश				
7.	गोंगरी (2x72 मेगावाट)	144	मैसर्स डिरांग एनर्जी प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 4.2.2013 को प्रदान की गई।
8.	हिरोंग (4x125 मेगावाट)	500	मैसर्स जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति देने के लिए बैठक दिनांक 26.11.2012 को आयोजित की गई। स्वीकृति पत्र जारी किया जाना है।
9.	ईटालिन (10x307+19.6+7.4 मेगावाट)	3097	मैसर्स ईटालिन हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति देने के लिए बैठक दिनांक 31.1.2013 को आयोजित की गई। स्वीकृति पत्र जारी किया जाना है।
10.	डिबिन (2x60 मेगावाट)	120	मैसर्स केएसके डिबिन हाइड्रो पावर प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 4.12.09 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि, अक्टूबर, 2010 की शून्य तारीख से 48 माह। वन स्वीकृति चरण-I 7.2.2012 को प्रदान की गई और चरण-II के लिए प्रतीक्षित है। पर्यावरणीय स्वीकृति 23.7.2012 को दी गई।
11.	डेम्चे लोअर (5x342 + 1x40 मेगावाट)	1750	मैसर्स एथेना डेम्चे पावर प्रा. लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 20.11.09 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि, अप्रैल, 2011 की शून्य तारीख से 61 माह। पर्यावरणीय स्वीकृति 12.2.2010 को दी गई। सैद्धान्तिक वन स्वीकृति 1.3.2012 को प्रदान की गई।
12.	लोअर सियांग (9x300 मेगावाट)	2700	मैसर्स जयप्रकाश अरुणाचल पावर लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 16.2.2010 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि, जनवरी, 2011 की शून्य तारीख से 114 माह। एफसी प्रस्ताव 13.4.2011 को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया। एओएसपीसीबी द्वारा 17, 18 और 20 अप्रैल, 2012 के लिए निर्धारित जन सुनवाई कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण नहीं हो सकी।
13.	न्यामजंग छू (6x130 मेगावाट)	780	मैसर्स एनजेसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 24.3.11 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि, जनवरी, 2012 की शून्य तारीख से 62 माह।

				<ul style="list-style-type: none"> पर्यावरणीय स्वीकृति 19.4.2012 को दी गई। वन स्वीकृति चरण-I 9.4.2012 को प्रदान की गई और चरण-II के लिए प्रतीक्षित है।
14.	टाटो-II (4x175 मेगावाट)	700	मैसर्स टाटो हाइड्रो पावर प्रा. लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 22.5.2011 को प्रदान की गई। पर्यावरणीय स्वीकृति 27.6.2011 को दी गई। एफएसी ने दिनांक 31.5.2011 को अन्य राज्य सरकारों को एक अध्ययन के साथ-साथ रीवरसाइन इकोसिस्टम पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं में संचयी प्रभाव का निर्धारण करने की सलाह दी है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू), शिलांग और वेपकोस द्वारा अपेक्षित अध्ययन किए जा रहे हैं।
15.	नाफ्रा 2x60 मेगावाट	120	मैसर्स एसईडब्ल्यू नाफ्रा पावर कारपोरेशन प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 11.2.11 को प्रदान की गई। आरंभिक अवधि, जुलाई, 2011 की शून्य तारीख से 36 माह। पर्यावरणीय स्वीकृति 17.01.2011 को दी गई। जून, 2012 में वन स्वीकृति चरण-II दी गई। वित्तीय बंदी 30.9.2011 को प्राप्त की गई। सम्भावित सीओडी मई, 2017 है।
जम्मू एवं कश्मीर				
16.	रटले एचईपी (4x205 +1x30 मेगावाट)	850	मैसर्स रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति दिनांक 19.12.2012 को प्रदान की गई। पर्यावरणीय स्वीकृति 12.12.2012 को दी गई। वन स्वीकृति अपेक्षित।
	कुल (16)	11919		
ख. परीक्षाधीन डीपीआर				
हिमाचल प्रदेश				
17.	सेली (4x100 मेगावाट)	400	मैसर्स सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लि.	13.1.2012 को प्रस्तुतीकरण किया गया। ई एंड एम लागत, जीएसआई, एचसीडी पहलुओं की टिप्पणियों पर उत्तर प्राप्त किए गए हैं जो परीक्षाधीन है।
18.	छतरू (3x42 मेगावाट)	126	मैसर्स डीसीएम श्रीराम इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	10.4.2012 को डीपीआर प्राप्त हुई। 06.7.2012 को प्रस्तुतीकरण दिया गया।
19.	सच खास (3x86.67+1x 7 मेगावाट)	267	मैसर्स एल एण्ड टी एचएचपीएल	<ul style="list-style-type: none"> जून, 2013 में डीपीआर प्राप्त हुई, 21.2.2013 को प्रस्तुतीकरण आयोजित किया गया। डीपीआर परीक्षाधीन है। हाइड्रोलॉजी, पीपीएस और डिजाइन फ्लड पहलू स्वीकृत किए गए।
अरुणाचल प्रदेश				
20.	सियोम (6x166.67=	1000	मैसर्स सियोम हाइड्रो पावर प्रा. लि.	परियोजना को सिविल और ई एंड एम डिजाइन पहलुओं से स्वीकृत कर लिया गया है। 29.11.2012

	1000 मेगावाट)			को आरओआर स्कीम के लिए स्टोरेज स्कीम के परिवर्तन पर एसटीपी की 5वीं बैठक में परियोजना को स्वीकृत कर दिया गया है। <ul style="list-style-type: none"> ई एंड एम लागत फरवरी, 2013 में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई और वर्तमान में सीईए में परीक्षाधीन है।
21.	तालोंग लोंडा (3x75 मेगावाट)	225	मैसर्स जीएमआर एनर्जी लि.	<ul style="list-style-type: none"> सितंबर, 2010 में संशोधित डीपीआर प्राप्त हुई जो परीक्षाधीन है। एमओईएफ और कानूनी पक्ष को छोड़कर अधिकतर पक्ष स्वीकृत कर दिए गए हैं। सिविल और ई एंड एम लागत की फेजिंग की प्राप्ति के बाद सहमति आगे बढ़ेगी।
22.	नाईग एचईपी (4x250 मेगावाट)	1000	मैसर्स नेइंग डीएसई पावर प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> सिविल गुणवत्ता को छोड़कर सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। सिविल और ई एंड एम की लागत परीक्षाधीन हैं।
23.	कलाई-II 6x190+1x60 मेगावाट)	1200	मैसर्स कलाई पावर प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> 10.4.2012 को डीपीआर प्राप्त हुई। 06.07.12 को प्रस्तुतीकरण बैठक आयोजित की गई।
24.	डेम्बे अपर	1080	मैसर्स लोहित ऊर्जा प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> जुलाई, 2012 को डीपीआर प्राप्त हुई। विकासकर्ता ने संशोधित पीपीएस प्रस्तुत किया है, 11.3.2013 को पीपीएस पर टिप्पणियां भेजी गईं।
25.	तगुरशिट	74	मैसर्स एल एण्ड टी अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो पावर लि.	<ul style="list-style-type: none"> जुलाई, 2012 को डीपीआर प्राप्त हुई जो परीक्षाधीन है।
26.	न्यूकचारोंग छू	96	मैसर्स एसएनसीपीसीएल	<ul style="list-style-type: none"> 04.03.2013 को प्रस्तुतीकरण दिया गया। डीपीआर को परीक्षाधीन किया गया।
नागालैंड				
27.	धीखू (3x62 मेगावाट)	186	मैसर्स मानु एनर्जी सिस्टम प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> 7.5.2012 को प्रस्तुतीकरण किया गया। हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, सीएमडीडी, एचसीडी, तटबंध, एसपी एंड पीए, ई एंड एम डिजाइन, इन्स्ट्रुमेंटेशन, अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष स्वीकृत किए गए।

मेघालय				
28.	क्यान्शी-I (2x135)	270	मैसर्स एथेना क्यान्शी पावर प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> 14.3.2013 को प्रस्तुतीकरण दिया गया। डीपीआर को परीक्षाधीन किया गया।
	कुल (12)	5924		
ग.	परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई डीपीआर			
हिमाचल प्रदेश				
29.	चांगो यंगथांग (3x46.67 मेगावाट)	140	मैसर्स मलाना पावर कंपनी लि.	विभिन्न टिप्पणियों के उत्तर न देने के कारण 15.12.2011 को डीपीआर लौटा दी गई।
30.	बारा भांगल (3x66.67)	200	मैसर्स एमपीसीएल	अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांचों, पर्यावरण और वन्य जीव मामलों के कारण डीपीआर लौटा दी गई।
उत्तराखण्ड				

31.	मोरी हनोल (2x31.5 मेगावाट)	64	कृष्णा निटवियर टैक्नोलॉजी लि.	<ul style="list-style-type: none"> उच्चतर पक्ष पर लागत बहुत अधिक है इसलिए 16.2.2010 को डीपीआर लौटा दी गई। 01.9.2011 को सीडब्ल्यूसी द्वारा हाइड्रोलेक्सी का अनुमोदन दिया गया। बाद में प्राप्त पीपीएस 07.09.2012 को सीईए द्वारा अनुमोदित किया गया।
32.	बोगुडियार सिरकारी भ्योल (2x73 मेगावाट)	146	मैसर्स गोरीगंगा हाइड्रो पावर प्राइवेट लि.	भू-वैज्ञानिक, जांच की अपर्याप्तता के कारण 27.9.10 को डीपीआर लौटा दी गई।
सिक्किम				
33.	तीस्ता –II (4x120 मेगावाट)	480	मैसर्स हिमऊर्जा इंफ्रा प्रा. लि.	11.5.2007 को डीपीआर लौटा दी गई।
34.	लेथांग (3x32 मेगावाट)	96	मैसर्स केएचसी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> 12.04.2010 को प्रस्तुतीकरण दिया गया और जांच के लिए स्वीकार नहीं किया गया। 28.04.2010 को डीपीआर लौटा दी गई।
अरुणाचल प्रदेश				
35.	यामने-II (3X28)	84	मैसर्स एसएसवाईईवीपीएल	<ul style="list-style-type: none"> डैम साइट, डायवर्जन टनल, सर्ज शाफ्ट और विद्युत गृह इत्यादि में अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांच के कारण मई, 2011 में डीपीआर लौटा दी गई।
36.	कलाई-I (6x216.67+2x 26 मेगावाट)	1352	मैसर्स एमएफआईपीएल	<ul style="list-style-type: none"> नए स्तरों के अनुसार स्कीम की समीक्षा के बाद डीपीआर के पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए एसटीसी की सिफारिश की गई। 24.5.2012 को डीपीआर लौटा दी गई।
37.	हुटोंग-II (6x200 मेगावाट)	1200	मैसर्स एमएफआईपीएल	<ul style="list-style-type: none"> नए स्तरों के अनुसार स्कीम की समीक्षा के बाद डीपीआर के पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए एसटीसी की सिफारिश की गई। 24.5.2012 को डीपीआर लौटा दी गई।
38.	हिओ (3x70)	210	मैसर्स एचएचपीपीएल	<ul style="list-style-type: none"> डैम साइट, डायवर्जन टनल, सर्ज शाफ्ट और विद्युत गृह इत्यादि में अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांच के कारण डीपीआर लौटा दी गई।
39.	पेमाशेलु (3x30 मेगावाट)	90	मैसर्स मेचुका हाइड्रो पावर प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> टिप्पणियों का उत्तर न देने और परियोजना से डैम लाभों की अवस्थिति में संभावित परिवर्तन के कारण परियोजना की डीपीआर लौटा दी गई।
40.	सिसिरी अरुणाचल प्रदेश (2x 50 मेगावाट)	100	मैसर्स सोमा सिसिरी हाइड्रो प्रा. लि.	<ul style="list-style-type: none"> 29.3.2011 को सीईए में डीपीआर प्राप्त हुई। 21.7.2011 को पीपीएस अनुमोदित किया गया। 21.2.2013 को प्रस्तुतीकरण बैठक आयोजित की गई। विस्तृत जांच के लिए डीपीआर को स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार के प्रतिवेदन ने यह इंगित किया कि सिंचाई और पेयजल घटक दो परियोजनाओं के आंतरिक भाग होने चाहिए और इनकी मूल्य परियोजना के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के साथ मामले को

				निपटाने के लिए डीपीआर विकासकर्ता को लौटाई जा रही है।
	कुल (12)	4162		
घ.	सर्वेक्षण एवं जांच के अधीन			
हिमाचल प्रदेश				
41	मलाना-III	30	बीएमडी प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
42	राशिल	130	एबीजी शिपयार्ड लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
43	टांडी	104	एबीजी शिपयार्ड लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
44	रियोली दुगली	420	एल एण्ड टी पावर लि.	सर्वेक्षण और जांच की आरंभिक अवस्था में है।
45	बारडोंग	114	एबीजी शिपयार्ड लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है। आईसी को 126 मेगावाट तक संशोधित किया गया।
46	टिडोंग-II	70	टिडोंग हाइड्रो पावर लि.	सर्वेक्षण और जांच की आरंभिक अवस्था में है। आईसी को 60 मेगावाट तक संशोधित किया गया।
उत्तराखण्ड				
47	मापांग-बोजीडियार	200	जीवीके- एल एण्ड टी लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
सिक्किम				
48	सुनतालेतर	40	श्रेया पावरटेक प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
49	तीस्ता-I	320	हिमालयन ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सर्वेक्षण और जांच की अनुमति दी है और सर्वेक्षण और जांच के पूरा होने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा टीओआर का सुझाव दिया जाएगा। आईसी 280 मेगावाट तक संशोधित किया गया।
अरुणाचल प्रदेश				
50	कंगतानशिरी	80	राजरत्न एनर्जी होल्डिंग्स प्रा. लि.	आईसी को 35 मेगावाट से 80 मेगावाट तक संशोधित किया गया। सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
51	मागो छू	96	एसईडब्ल्यू एनर्जी	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
52	न्यू मेलिंग	96	एसईडब्ल्यू एनर्जी	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
53	रो	141	एसईडब्ल्यू एनर्जी	क्षमता को 60 मेगावाट से 141 मेगावाट तक संशोधित किए जाने की संभावना है। सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
54	यामने-I	60	यामने पावर प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
55	पॉक	145	वाल्कन एनर्जी प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच रोक दी गई। भूमि विवाद समस्या के कारण विकासकर्ता साइट प्राप्त करने में असमर्थ रहे।
56	टाटो-I	186	वाल्कन एनर्जी प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच रोक दी गई। भूमि विवाद समस्या के कारण विकासकर्ता साइट प्राप्त करने में असमर्थ रहे।
57	रापुम	80	राजरत्न एनर्जी होल्डिंग्स प्रा. लि.	आईसी को 40 मेगावाट से 80 मेगावाट तक संशोधित किया गया
58	पार	65	केवीके एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
59	दुर्दु	60	केवीके एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
60	टोरु	90	केवीके एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।

61	जमेरी	50	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है और आईसी को 50 मेगावाट से 90 मेगावाट तक संशोधित किए जाने की संभावना है।
62	डिन्वेंग	360	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
63	मरजिंगला लोअर	48	एनर्जी डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
64	मरजिंगला	60	एनर्जी डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.	
65	हिरित कोरांग	30	एसएमईसी इंडिया प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
66	लोअर यामने स्टेज-I	50	यामने पावर प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच रोक दी गई। मैसर्स यामने पावर प्रा. लि. को आर्बटित किया गया। समझौता ज्ञापन के समाप्त होने की संभावना है।
67	लोअर यामने स्टेज -II	40	यामने पावर प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच रोक दी गई। मैसर्स यामने पावर प्रा. लि. को आर्बटित किया गया। समझौता ज्ञापन के समाप्त किए जाने की संभावना है।
68	अन्जाँ	280	एथेना एनर्जी वेंचर (पी) लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
69	जिमिल्यांग	99	साई कृष्णोदया इंड. (पी) लि.	डीपीआर तैयार की गई।
70	रामगम	96	साई कृष्णोदया इंड. (पी) लि.	डीपीआर तैयार की गई।
71	टिडिंग-I	96	साई कृष्णोदया इंड. (पी) लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
72	टिडिंग -II	68	साई कृष्णोदया इंड. (पी) लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
73	एमरा-I	275	एथेना एनर्जी वेंचर (पी) लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
74	ट्सा चू - I लोअर	50	एनर्जी डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
75	ट्सा चू - II	90	एनर्जी डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
76	पारा	55	कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
77	रेबी	30	कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
78	डिजिन	46	पटेल हाइड्रो पावर प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
79	मेयोंग	38	पटेल हाइड्रो पावर प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
80	सुबानसिरी मिडिल	1600	जिंदल पावर लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
81	सुबानसिरी अपर	2000	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।

82	कामेंग डैम	600	केएसके	सिप्पा नगर की जलमग्नता की समीक्षा। आईसी को 480 मेगावाट तक संशोधित किया गया।
83	कापकलेयक	160	एनर्जी डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.	स्कीम तीन भागों में विभाजित की गई है और इसे पाचुक-I (84 मेगावाट), पाचुक-II लोअर (45 मेगावाट) और पाचुक-II (60 मेगावाट) का नया नाम दिया गया है। सर्वेक्षण और जांच कार्य पूरा कर लिया गया है।
84	नाबा	1000	अबीर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
85	नालो	360	कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
86	उजू-I	700	नवयुग एनर्जी इंजी. क.लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
87	उजू -II	1000	नवयुग एनर्जी क. लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
88	एमिनी	500	रिलायंस पावर लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
89	अमुलिन	420	रिलायंस पावर लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
90	अतुनली	500	जिंदल पावर लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
91	मिहुमडॉन	400	रिलायंस पावर लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
92	एमरा-II	390	एथेना एनर्जी वेंचर्स लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है। आईसी को 216 मेगावाट तक संशोधित किया गया।
93	पक्के	110	एनर्जी डेवलेपमेंट क. लि.	परियोजना को पक्के बूंग-I (40 मेगावाट) के रूप में विकासकर्ता को आबंटित किया गया। सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
94	पापु	200	इंडियाबुल रियल एस्टेट लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है। क्षमता को 90 मेगावाट तक संशोधित किया गया।
95	उदुंग	100	केएसके इलैक्ट्रिसिटी इंडिया लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
असम				
96	करबी इंटरमीडिएट एसटी	60	जेवी ऑफ आईएलएफएस एंड असम सरकार	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है।
मेघालय				
97	क्यांशी चरण-II	450	मेघालय सरकार और जेपीपीवीएल का संयुक्त उद्यम	मेघालय सरकार और जेपीपीवीएल का संयुक्त उद्यम, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी किए जाने हैं।
98	सिमसैंग	65	जेवी ऑफ जीओएमई एंड सेवन सिस्टर्स एनर्जी डेवलेपमेंट कंपनी	मेघालय सरकार और सेवन सिस्टर्स एनर्जी डेवलेपमेंट कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में परियोजना का विकास किया जाना है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी किए जाने हैं।
99	उमदुना	57	ईटा स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	सर्वेक्षण और जांच प्रगति पर है। आईसी को 90 मेगावाट तक संशोधित किया गया।
100	उमजौत	69	ईटा स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (जेवी)	सर्वेक्षण और जांच कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं। डीपीआर तैयारी की प्रक्रिया में है।

	कुल (60)	15129		
ड.	वह जल विद्युत परियोजनाएं जिनका अभी सर्वेक्षण और जांच की जानी है			
हिमाचल प्रदेश				
101	यांगथांग खाब	261	यांगथांग पावर वेंचर्स	
102	रुपिन	39	बजरंग पावर एंड इस्पात लि.	
103	धमवारी सुंदा	70	धमवारी पावर कारपोरेशन लि.	
104	दुगर	236	टाटा पावर	
105	पुरथी	300	रिलायंस पावर	
106	टिंगेट	81	एएमआर-मित्रा जेवी	
107	लारा सुमता	104	रिलायंस पावर	
108	सुमते कोथांग	130	रिलायंस पावर	
109	टेलिंग	94	रिलायंस पावर	
100	शांगलिंग	44	रिलायंस पावर	
उत्तराखण्ड				
111	उरथिंग सोबला	280	रिलायंस एनर्जी	
112	हनल टियुनी एचईपी	60	सनफ्लैग इंडस्ट्रीज लि.	
113	रामबारा	76	मैसर्स लैंको	
सिक्किम				
114	रांगयोंग	117	बीएससीपीएल- एससीएल जेवी	
115	थांगची (लेचुंग)	99	लेचुंग पावर	
116	बिमक्योंग	99	तीस्ता पावर	
117	बोप	99	चुंगथांग पावर	
118	तलीम	75	श्याम एनर्जी	
119	सादा मंगदर	71	गति इंफ्रास्ट्रक्चर	
अरुणाचल प्रदेश				
120	थिंगबुचु	60	अरुणाचल प्रदेश मेगा पावर प्रोजेक्ट	
121	लेचुंग	40	कोस्टल प्रोजेक्ट	
122	फंचुंग	56	इंडिया बुल	
123	तरंग वरंग	36	इंडिया बुल	
124	पापु वैली	48	वैसार कंस्ट्रक्शन	
125	कामेंग- II (भराली- II)	600	माउंटेन फाल इंडिया प्रा. लि.	
126	नेजोंग	60	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	
127	खुईटम	66	अभिशंकर पावर प्रा. लि.	
128	डिमीजिन	40	केएसके एनर्जी	

			वेंचर्स	
129	ससकंगरौंग	45	पटेल इंजीनियरिंग लि.	
130	पेयनोर	80	राजरत्न एनर्जी होल्डिंग	
131	जरौंग	90	सीईएससी लि.	
132	सिमैंग-I	67	अभिशंकर पावर प्रा. लि.	
133	सिमैंग -II	66	अभिशंकर पावर प्रा. लि.	
134	तगुशिट चरण-II	27.5	चदालावादा कंस्ट्रक्शन (पी) लि.	
135	पांगो	96	मीनाक्षी पावर लि.	
136	तिपैंग	45	आईएल एंड एफएस रिन्युएबेवल एनर्जी लि.	
	कुल (36)	3857.5		
	क, ख, ग, घ, और ङ का कुल योग (136)	40991.5		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3860.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

, uñ Vñ i hñ l hñ fyfeVM dks dks ys dh
vki frZjna fd; k t luk

3860- Jh jke diky ; kno%

क्या fo | q मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन. टी. पी. सी.) के विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बन्द कर दी है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि इस समस्या के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है; और
- (ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा एन. टी. पी. सी. और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच इस मामले को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक कंपनी, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने 01.04.2013 से 04.04.2013 तक एनटीपीसी के स्टेशनों अर्थात् पश्चिम बंगाल में फरक्का और बिहार में कहलगांव को कोयला आपूर्ति पूर्णतः बंद कर दी थी।

(ख) : जी हां, कुछ सीमा तक।

(ग) : कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल)/ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के बीच उच्च स्तरीय बैठक के पश्चात कोयला आपूर्ति पुनः शुरू हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3861.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

नक्षेत्रीय विद्युत उत्पादन

3861- जल विद्युत उत्पादन

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या गैस की कम आपूर्ति के कारण विभिन्न गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का विद्युत उत्पादन गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है;
- (ग) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित पिछले दो वर्षों के दौरान संयंत्र-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार इन संयंत्रों के विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा इन संयंत्रों को पर्याप्त गैस की आपूर्ति हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- 31 मार्च 2013 तक की स्थिति के अनुसार 53 गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं, जिनकी कुल क्षमता 17721.47 मेगावाट है । देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-1 पर दिया गया है ।

(ख)- जी, हां ।

(ग)- गैस की कम आपूर्ति के कारण गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है । वर्तमान वर्ष अर्थात वर्ष 2012-13 सहित विगत दो वर्षों के दौरान गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-1 पर दिया गया है ।

(घ)- सरकार विद्युत संयंत्रों को अतिरिक्त गैस उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है तथा देश में गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठा रही है और गैस की आपूर्ति को बढ़ाने तथा विद्युत

क्षेत्र सहित घरेलू बाजार के लिए मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा बहुमुखी कार्य नीति अपनायी जा रही है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है-

(i) नई खोज लाइसेंसिंग नीति(एनईएलपी) के अंतर्गत देश के विभिन्न सेडीमेंटरी बेसिनों में खोज तथा उत्पादन गतिविधियों के लिए गैस ब्लॉकों को अवार्ड करके पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय(एमओपी एंड एनजी) घरेलू स्रोतों से गैस की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है ।

(ii) एमओपी एंड एनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) के रूप में गैस के आयात को प्रोत्साहित कर रहा है तथा इंटरनेशनल गैस लाइन परियोजनाओं के माध्यम से भी गैस के आयात का प्रयास कर रहा है ।

(iii) कोयला धारक क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस के नए स्रोतों की खोज और उत्पादन करने के लिए सरकार ने एक कोल बेड मीथेन (सीबीएम) नीति तैयार की है, जिसमें देश में सीबीएम की खोज एवं उत्पादन के लिए आकर्षक वित्तीय तथा संविदात्मक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराए गए हैं ।

(iv) सरकार अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन (यूजीसीजी) तथा कोल लिक्विफिकेशन को प्रोत्साहित कर रही है तथा इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के विकास में निजी प्रवेशकों द्वारा निवेश को बढ़ावा दे रही है ।

एमओपी एंड एनजी ने 1.1.2013 को एक ही स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों के बीच गैस की क्लर्बिंग/डायवर्जन पर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं । इससे घरेलू गैस का और अधिक दक्षता से प्रयोग होने से संयंत्र लोड कारक में सुधार होकर इसके सापेक्ष कुल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी ।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 30.4.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं0 3861 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

31.3.2013 को संस्थापित क्षमता का ब्योरा

क्रम सं.	विद्युत केंद्र
हरियाणा	
1	फरीदाबाद सीसीपीपी
राजस्थान	
2	अंता सीसीपीपी
3	धोलपुर सीसीपीपी
4	रामगढ़ सीसीपीपी
दिल्ली	
5	आईपी.सीसीपीपी
6	प्रगति सीसीजीटी-III
7	प्रगति सीसीपीपी
8	रिठाला सीसीपीपी
उत्तर प्रदेश	
9	औरैया सीसीपीपी
10	दादरी सीसीपीपी
गुजरात	
11	गंधार सीसीपीपी
12	कवास सीसीपीपी
13	धुवरान सीसीपीपी
14	हजीरा सीसीपीपी
15	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें
16	उरान सीसीपीपी
17	वतवा सीसीपीपी
18	बरोदा सीसीपीपी
19	एस्सार सीसीपीपी
20	पेगुथान सीसीपीपी
21	सुजेन सीसीपीपी
महाराष्ट्र	
22	रत्नागिरी सीसीपीपी
23	उरान सीसीपीपी
24	ट्रांबे सीसीपीपी
आंध्र प्रदेश	
25	गौतमी सीसीपीपी
26	जीएमआर एनर्जी लि. काकीनाडा
27	गोदावरी सीसीपीपी
28	जेगुरुपाडु सीसीपीपी

29	कोनासीमा सीसीपीपी
30	कोंडापल्ली एक्सटें सीसीपीपी.
31	कोंडापल्ली सीसीपीपी
32	पेड्डापुर्म सीसीपीपी
33	वेमागिरी सीसीपीपी
34	विजेश्वरम सीसीपीपी
35	श्रीबा इंडस्ट्रिज
36	आरवीके इनर्जी
37	सिल्क रोड सुगर
38	एलवीएस पावर
तमिलनाडु	
39	कोवीकलप्पल सीसीपीपी
40	कुट्टलम सीसीपीपी
41	वल्लुर सीसीपीपी
42	करूपुर सीसीपीपी
43	पी. नल्लुर सीसीपीपी
44	वलंथारवी सीसीपीपी
पुडुचेरी	
45	करैकाल सीसीपीपी
असम	
46	कथलगुडी सीसीपीपी
47	लकवा जीटी
48	नामरूप सीसीपीपी
49	नामरूप एसटी
50	डीएलएफ असम जीटी
त्रिपुरा	
51	अगरतला जीटी
52	बारामुरा जीटी
53	रोखिया जीटी

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 30.4.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं0 3861 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान संयंत्रवार उत्पादन

क्रम सं.	विद्युत केंद्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन(मिलियन यूनिट)	
			2011-12	2012-13 (अनंतिम)
हरियाणा				
1	फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	3067.72	2402.84
राजस्थान				
2	अंता सीसीपीपी	419.33	2694.6	2174.76
3	धोलपुर सीसीपीपी	330.00	2253.77	1160.38
4	रामगढ़ सीसीपीपी	223.80	536.79	498.35
	कुल	863.13	5485.16	3833.49
दिल्ली				
5	आईपी.सीसीपीपी	270.00	1243.72	1309.98
6	प्रगति सीसीजीटी-III	1000	331.38	1437.58
7	प्रगति सीसीपीपी	330.40	2560.05	2508.08
8	रिठाला सीसीपीपी	108.00	241.83	138.82
	कुल	1708.4	4376.98	5394.46
उत्तर प्रदेश				
9	औरैया सीसीपीपी	663.36	3878.62	2774.89
10	दादरी सीसीपीपी	829.78	5376.07	4417.84
	कुल	1493.14	9254.69	7192.73
गुजरात				
11	गंधार सीसीपीपी	657.39	3684.07	3481.81
12	कवास सीसीपीपी	656.20	3638.4	2901.08
13	धुवरान सीसीपीपी	218.62	1008.7	848.45
14	हजीरा सीसीपीपी	156.10	907.62	701.44
15	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें	351	0.00	4.44
16	उरान सीसीपीपी	518	2987.98	954.96
17	वतवा सीसीपीपी	100	459.26	125.2
18	बरोदा सीसीपीपी	160	668.74	375.38
19	एस्सार सीसीपीपी	515	135.89	484.68
20	पेगुथान सीसीपीपी	655	3067.07	1405.78
21	सुजेन सीसीपीपी	1147.5	7592.16	4190.39
	कुल	5134.81	24149.89	15473.61
महाराष्ट्र				
22	रत्नागिरी सीसीपीपी	1967	11619.08	5127.36
23	उरान सीसीपीपी	672	4668.78	3737.13
24	द्रांबे सीसीपीपी	180	1567.9	1596.6

	कुल	2819	17855.76	10461.09
आंध्र प्रदेश				
25	गौतमी सीसीपीपी	464	2898.67	997.09
26	जीएमआर एनर्जी लि. काकीनाडा	220	1200.03	393.11
27	गोदावरी सीसीपीपी	208	1282.46	1031.07
28	जेगुरुपाडु सीसीपीपी	455.4	2833.49	1688.35
29	कोनासीमा सीसीपीपी	445	2266.22	899.68
30	कोंडापल्ली एक्सटें सीसीपीपी.	366	2203.54	661.51
31	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	2030.94	1766.09
32	पेड्डापुलम सीसीपीपी	220	1318.82	712.32
33	वेमागिरी सीसीपीपी	370	2066.81	947.79
34	विजेश्वरम सीसीपीपी	272	0	1167.43
35	श्रीबा इंडस्ट्रिज	30	NA	NA
36	आरवीके इनर्जी	28	NA	NA
37	सिल्क रोड सुगर	35	NA	NA
38	एलवीएस पावर	55	NA	NA
	कुल	3518.4	18100.98	10264.44
तमिलनाडु				
39	कोवीकलप्पल सीसीपीपी	107	705.75	726.79
40	कुट्टलम सीसीपीपी	100	413.29	55.87
41	वल्लुर सीसीपीपी	186.2	1114.56	922.33
42	करूपुर सीसीपीपी	119.8	797.1	882.00
43	पी. नल्लुर सीसीपीपी	330.5	1526.19	1817.89
44	वलंथारवी सीसीपीपी	52.8	377.51	385.18
	कुल	896.3	4934.4	4790.06
पुडुचेरी				
45	करैकाल सीसीपीपी	32.5	251.46	220.00
असम				
46	कथलगुडी सीसीपीपी	291	1765.17	1680.51
47	लकवा जीटी	157.2	771.99	885.34
48	नामरूप सीसीपीपी	95	565.73	490.9
49	नामरूप एसटी	24	0	40.81
50	डीएलएफ असम जीटी	24.5	0	34.63
	कुल	591.7	3102.89	3132.19
त्रिपुरा				
51	अगरतला जीटी	84	666.12	632.83
52	बारामुरा जीटी	58.5	357.62	347.6
53	रोखिया जीटी	90	419.1	418.01
	कुल	232.5	1442.84	1398.44
	सकल योग	17831.47	92022.77	64563.35

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3862.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

नसक धतय fo | १ l ११०, rk dk i १%u/११. k

3862- Jh gq s nyob%

क्या fo | १ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश की जल-विद्युत संभाव्यता का पुनःनिर्धारण कराया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्तमान में, मौजूदा जल-विद्युत क्षमता का कितना दोहन किया जा रहा है; और
- (घ) जल विद्युत क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

१/११/११ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1978-87 में दे'ी की जल-विद्युत क्षमता का पुनः निर्धारण अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, संस्थापित क्षमता (आईसी) के संबंध में 1,48,701 मेगावाट जल-विद्युत क्षमता का आकलन किया गया है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट की क्षमता में 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली जल-विद्युत स्कीमें शामिल हैं। उपर्युक्त 34,705.8 मेगावाट (23.88%) की चिन्हित क्षमता प्रचालनाधीन है और अन्य 12,372 मेगावाट (8.51%) निर्माणाधीन है। जल-विद्युत क्षमता के विकास की राज्य-वार स्थिति **vucak** में दी गई है।

१/११/११ में जल-विद्युत क्षमता के न्यूनतम उपयोग के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

- (i) कठिन/दुर्गम क्षमता वाले स्थल।
- (ii) भूमि अधिग्रहण समस्या।
- (iii) पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति मामलें।
- (iv) कानून एवं व्यवस्था समस्या।
- (v) अन्तर्राज्यीय पहलू।
- (vi) दीर्घावधि की पूर्णता अवधि।
- (vii) भूवैज्ञानिक आकस्मिक घटनाएं।
- (viii) पुनर्स्थापन और पुनर्वास मामलें।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 30.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3862 के भाग (क) से(ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्षमता विकास की राज्यवार स्थिति
(संस्थापित क्षमता 25 मेगावाट से ऊपर के संदर्भ में)

31.3.2013 के अनुसार

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार चिन्हित क्षमता		विकसित क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		विकसित क्षमता+ निर्माणाधीन		अभी विकसित की जाने वाली क्षमता	
	कुल	25 मेगावाट से अधिक			(मेगावाट)	%	(मेगावाट)	%		
उत्तरी										
जम्मू एवं कश्मीर	14146	13543	2384.0	17.60	1065.0	7.86	3449.0	25.47	10094.0	74.53
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	7594.0	40.96	3732.0	20.13	11326.0	61.09	7214.0	38.91
पंजाब	971	971	1206.3	100.00	0.0	0.00	1206.3	100.00	0.0	0.00
हरियाणा	64	64	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	64.0	100.00
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00	411.0	85.09	72.0	14.91
उत्तराखंड	18175	17998	3426.4	19.04	1196.0	6.65	4622.4	25.68	13375.7	74.32
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00	501.6	75.54	162.4	24.46
उप जोड़(एनआर)	53395	52263	15523.3	29.70	5993.0	11.47	21516.3	41.17	30746.8	58.83
पश्चिमी										
मध्य प्रदेश	2243	1970	2395.0	100.00	400.0	20.30	2795.0	100.00	0.0	0.00
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00	120.0	5.45	2082.0	94.55
गुजरात	619	590	550.0	93.22	0.0	0.00	550.0	93.22	40.0	6.78
महाराष्ट्र	3769	3314	2487.0	75.05	0.0	0.00	2487.0	75.05	827.0	24.95
गोआ	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.0	100.00
उपजोड़(डब्ल्यूआर)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92	5952.0	73.20	2179.0	26.80
दक्षिणी										
आंध्र प्रदेश	4424	4360	2177.8	49.95	410.0	9.40	2587.8	59.35	1772.3	40.65
कर्नाटक	6602	6459	3585.4	55.51	0.0	0.00	3585.4	55.51	2873.6	44.49
केरल	3514	3378	1881.5	55.70	100.0	2.96	1981.5	58.66	1396.5	41.34
तमिलनाडु	1918	1693	1737.2	100.00	45.0	2.66	1782.2	100.00	0.0	0.00
उपजोड़(एसआर)	16458	15890	9381.9	59.04	555.0	3.49	9936.9	62.54	5953.2	37.46
पूर्वी										
झारखंड	753	582	233.2	40.07	0.0	0.00	233.2	40.07	348.8	59.93
बिहार	70	40	0.0		0.0	0.00	0.0		40.0	100.00
ओडिशा	2999	2981	2027.5	68.01	0.0	0.00	2027.5	68.01	953.5	31.99
प. बंगाल	2841	2829	176.0	6.22	193.0	6.82	369.0	13.04	2460.0	86.96
सिक्किम	4286	4248	570.0	13.42	2421.0	56.99	2991.0	70.41	1257.0	29.59
अंडमान निकोबार	0	0	0.0						0.0	
उपजोड़(ईआर)	10949	10680	3006.7	28.15	2614.0	24.48	5620.7	52.63	5059.3	47.37
पूर्वोत्तर										
मेघालय	2394	2298	282.0	12.27	40.0	1.74	322.0	14.01	1976.0	85.99
त्रिपुरा	15	0	0.0		0.0		0.0		0.0	
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.00	105.0	5.96	1656.0	94.04
असम	680	650	375.0	57.69	0.0	0.00	375.0	57.69	275.0	42.31
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.00	75.0	5.17	1377.0	94.83
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	405.0	0.81	2710.0	5.41	3115.0	6.22	46949.0	93.78

मिजोरम	2196	2131	0.0	0.00	60.0	2.82	60.0	2.82	2071.0	97.18
उपजोड़(एनईआर)	58971	58356	1242.0	2.13	2810.0	4.82	4052.0	6.94	54304.0	93.06
अखिल भारतीय	148701	145320	34705.8	23.88	12372.0	8.51	47077.8	32.40	98242.2	67.60

टिप्पणी : उपर्युक्त के अतिरिक्त, 9 पीएसएस(4785.6 मेगावाट) प्रचालनाधीन हैं तथा 2 पीएसएस (1080 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3863.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

श्री राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण
अधीन संसदीय प्रश्न संख्या-3863

3863- श्री राजीव गांधी

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण हेतु अभी तक कितने ग्रामों को शामिल किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितना धन खर्च किया गया है;
- (ग) क्या यह सच है कि यह योजना कुल राजस्व ग्रामों के आधार पर तैयार की गई है, देश में वन ग्रामों की कुल कितनी संख्या है और इनमें से अभी तक कुल कितने वन ग्रामों को योजना में शामिल किया गया है; और
- (घ) वर्ष 2005 से अभी तक जिन गांवों में इस योजना का विस्तार किया गया है उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : भारत सरकार ने ग्रामीण घरों तक विद्युत की पहुँच उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरों के विद्युतीकरण के सृजन के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम की शुरुआत की थी। स्कीम के अंतर्गत, देश में, 1,12,795 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) के विद्युतीकरण, 3,96,336 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) के गहन विद्युतीकरण और 2,74,98,652 बीपीएल घरों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(ख) : 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में 21650 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई है।

(ग) : इस स्कीम में वन क्षेत्रों में आने वाले गांवों को शामिल करते हुए देश में राजस्व गांवों के ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुँच उपलब्ध करवाने की योजना है। तथापि, स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की संस्वीकृति वन क्षेत्रों में आने वाले गांवों को शामिल करते हुए राजस्व गांवों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर की जाती है।

(घ) : संचयी रूप से, दिनांक 31.03.2013 तक आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 1,12,795 गैर/विद्युतीकृत गांवों की कवरेज में से 1,07,083 गैर/विद्युतीकृत गांवों और 3,96,336 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों की कवरेज में से 2,90,137 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3864.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत की आपूर्ति में कमी के कारणों का विवरण
क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

3864- जहाँ जहाँ विद्युत की आपूर्ति में कमी है

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की अधिकांश विद्युत क्षमता के उपयोग हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार के पास विद्युत की कमी वाले राज्यों के लिए कोई योजना है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या केन्द्र सरकार ऐसा मानती है कि ऐसे पारेषण गलियारे राष्ट्र के व्यापक हित में हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ऐसे अन्तर-राज्यीय पारेषण तंत्र स्थापित करने के लिए विद्युत प्रणाली विकास कोष (पी. एस. डी. एफ.) बनाने पर विचार कर रहा है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

जवाब: आपूर्ति और निकासी बिन्दुओं के बीच उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) पर आधारित आपूर्ति के स्रोत से अंतर राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के माध्यम से विद्युत की अधिकता वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत अंतरित की जा सकती है। पारेषण में ओपन एक्सेस (विद्युत अधिनियम, 2003 के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया गया है), जो सीईआरसी द्वारा अधिसूचित संगत विनियमों के अनुसरण में ट्रेडिंग मैकेनिज्म और पावर एक्सचेंज द्वारा इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उत्पादन स्रोतों से विद्युत की निकासी के लिए और अधिकांश क्षेत्रों से कमी वाले

क्षेत्रों को विद्युत के अन्तरण को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाई गई है । इसके अतिरिक्त, विद्युत की ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं । अधिकांश से कमी वाले राज्यों को विद्युत अंतरण को सरल बनाने के लिए पावर एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं । द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अन्य जरूरतमंद एवं इच्छुक राज्यों को राज्यों द्वारा आपूर्ति की गई अधिकांश विद्युत भी राज्यों के पास उपलब्ध है ।

14.12.15 14.12: विद्युत समवर्ती विशय होने के कारण, राज्य में विद्युत की आपूर्ति भी जिम्मेदारी राज्य से संबंधित राज्य सरकार/पावर यूटिलिटीज़ की होती है । इसलिए यह विद्युत की कमी वाले राज्यों की जिम्मेदारी है, कि वे विद्युत के आयात सहित विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता का आकलन करें एवं योजना बनाएं और तदनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित ओपन एक्सेस के प्रावधानों और सीईआरसी द्वारा अधिसूचित संगत विनियमों के अंतर्गत सीटीयू/आरएलडीसी से अंतर-क्षेत्रीय/अंतर-राज्य पारेक्षण एक्सेस की मांग करें । भारत सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयूज) के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और भारी मात्रा में विद्युत पारेक्षण प्रणाली की स्थापना करके केवल राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है । उपलब्ध विद्युत के इष्टतम उपयोग के लिए राष्ट्रीय ग्रिड का विकास एक सतत प्रक्रिया है और अंतर क्षेत्रीय पारेक्षण लिंकों और अपेक्षित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है । बढ़े हुए उत्पादन और पारेक्षण क्षमता से मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने में विद्युत की कमी वाले राज्यों को सहायता मिलेगी ।

14.12: जी, हां । अंतर-क्षेत्रीय/अंतर-राज्यीय पारेक्षण कोरीडोर देश के व्यापक हित में है जिसमें विद्युत की अधिकता वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को आपूर्ति में सुविधा होगी ।

14.12: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2010 के माध्यम से विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का गठन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय पारेक्षण नेटवर्क की स्थापना के लिए भी उपयोग किया जा सकता है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3865.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

उत्तर संख्या-3865

3865- श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रिड के ठप्प हो जाने को नोट किया है;
- (ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की पहचान की है;
- (ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : सरकार ने उत्तरी क्षेत्र में 30.07. 2012को 02 . 35बजे तथा पुनः 31 .07. 2012को 13: 00बजे आई बड़ी ग्रिड बाधा को नोट किया है जिसमें कुछ क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर ग्रिड में बाधा आई थी। 30 एवं 31 जुलाई, 2012 को ग्रिड खराबी के पश्चात विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति ने पाया कि बाधा निम्नलिखित कारकों के संयोग के कारण आई थी:

- (क) बार-बार बंदी के कारण कमजोर अंतर-क्षेत्रीय कॉरीडोर;
- (ख) उपलब्ध लिंक्स की उच्च लोडिंग;
- (ग) राज्य भार प्रेषण केंद्रों (एसएलडीसी) द्वारा क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (आरएलडीसी) के उत्तरी क्षेत्र यूटिलिटियों द्वारा अतिनिकासी और पश्चिमी क्षेत्र यूटिलिटियों द्वारा कम निकासी/ओवर इंजैक्शन कम करने के अनुदेशों का अपर्याप्त अनुपालन; तथा
- (घ) 400 केवी बीना-ग्वालियर लिंक की हानि।

(ग) और (घ) : अध्यक्ष, सीईए की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने कई सिफारिशों की थीं जिससे कि भविष्य में पुनः ऐसी ग्रिड खराबी होने को रोका जा सके। विद्युत मंत्रालय ने जांच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य यूटिलिटियों को ग्रिड अनुशासन बनाए रखने और ग्रिड से निर्धारित कार्यक्रम के भीतर निकासी करने की सलाह देना, तृतीय पक्ष सुरक्षा लेखा परीक्षा, विभिन्न राज्यों में आईलैडिंग स्कीमों का प्रतिपादन, अनिर्धारित अंतर परिवर्तन (यूआई) तंत्र की समीक्षा, कम बारंबारता को शामिल करते हुए वृहत सुरक्षा योजना तैयार करना, कम वोल्टता बारंबारता

परिवर्तन दर, भारी उत्पादन एवं पारेषण लाइन बंदी को कवर करने के लिए प्रणाली सुरक्षा स्कीमें, यूटिलिटियों को क्षेत्रीय विद्युत समितियों के परामर्श के साथ उत्पादन यूनिटों और पारेषण लाइनों के लिए बंदी योजनाएं तैयार करने के लिए सलाह देना तथा पारेषण योजना, मानदण्ड की समीक्षा इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र सहित विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में विभिन्न मुद्दों पर याचिकाएं भी दायर की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संकुलन प्रभार प्रक्रिया संशोधन, बारंबारता बैंड को और अधिक सख्त बनाना, उत्पादकों से प्रारंभिक उत्तर इत्यादि शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3866.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

श्री. ए. ए. ए. * ds_ . ksdks i q0 ZfLFkr djuk

3866- Jh Mñ i hñ f=i kBl%

क्या fo | q मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस योजना के अधीन 'विद्युत वितरण कंपनियां' (डिस्कॉम्स) लाभान्वित होंगी और इस योजना की रूपरेखा क्या है;
- (ग) क्या प्रस्तावित प्रक्रिया पर लाभ की राशि का आकलन किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक योजना बनाई है, जोकि देश की विद्युत वितरण कंपनियों के अल्प अवधि के ऋणों के पुनर्गठन के लिए है। यह योजना राज्य के स्वामित्व वाली उन सभी प्रतिभागी डिस्कॉम्स के लिए उपलब्ध है जिन्हें संचित हानियां हुई हैं और जो प्रचालनात्मक हानियों की वजह से वित्त पोषण में कठिनाईयों का सामना कर रही है। 25.04.2013 के अनुसार जिन राज्यों ने सैद्धान्तिक रूप से इस योजना में प्रतिभागिता के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, वे राज्य- आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। इस योजना की रूपरेखा अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ) : लागू नहीं।

राज्य सभा में दिनांक 30.04.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3866 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय पुनर्गठन की रूपरेखा

- राज्य सरकार 31 मार्च, 2012 के अनुसार डिस्कॉम्स की बकाया अल्प अवधि देयताओं (एसटीएल) के 50% भाग को अपने हाथ में ले लेगी। इसे पहले डिस्कॉम्स द्वारा प्रतिभागी ऋण दाताओं को जारी किए जाने वाले बांड्स में परिवर्तित किया जाएगा, जोकि राज्य सरकार की गारंटी द्वारा विधिवत समर्थित होगा। इसके बाद राज्य सरकार अगले 2-5 वर्षों में इन देयताओं को डिस्कॉम्स के एफआरबीएम स्पेस के अनुसार विशेष प्रतिभूतियां जारी करके अपने हाथ में लेगी। विशेष प्रतिभूतियां जारी कर इसे अपने हाथ में लेने की तिथि तक राज्य सरकार ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान में सहयोग देगी।
- शेष 50% अल्प अवधि देयताओं को ऋणदाताओं द्वारा बेहतर संभव शर्तों पर मूल पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन के साथ पुनः निर्धारित किया जाएगा।
- टर्न अराउंड प्लान की प्रगति की निगरानी के लिए इस योजना में द्विस्तरीय निगरानी प्रणाली विद्यमान है। यह निगरानी केंद्र और राज्य स्तर की समितियों द्वारा की जाती है।
- केंद्र सरकार आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत विनिर्धारित ट्रैजेक्टरी हानि से अधिक त्वरित एटी एंड सी हानियों में कमी करने के माध्यम से बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा के मूल्य के समान राशि का अनुदान प्रोत्साहन प्रदान करेगी तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई देयताओं का राज्य सरकार द्वारा मूलधन के 25% पुनर्भुगतान की प्रतिपूर्ति सहायता देगी।
- इस योजना में राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स की दीर्घावधि वित्तीय और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने हेतु डिस्कॉम्स तथा राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध तरीके से किए जाने वाले अपेक्षित तत्काल/जारी रहने वाले तथा अन्य उपाय समाविष्ट हैं। इन उपायों में वित्तीय पुनर्गठन, टैरिफ सेटिंग तथा राजस्व वसूली, सब्सिडी, मीटरिंग, लेखा-परीक्षा और लेखे तथा निगरानी आदि शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3867.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

राज्य सभा में श्री राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण
अधीन विद्युत लाइट के संस्थापन हेतु कया दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं

3867- Jh dñ l ĩñ R, kxh %

कया fo | q मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा देश में और विशेष रूप से पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन स्ट्रीट लाइट के संस्थापन हेतु कया दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं;
- (ख) कया सरकार इस योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला के चिरगांव तहसील में वंडला गांव में प्राथमिकता के आधार पर स्ट्रीट लाइट संस्थापित करेगी क्योंकि यह गांव विकासात्मक कार्य के उद्देश्य हेतु पिछड़े/पंचायत के अधीन आता है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इसमें ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) के सृजन द्वारा ग्रिड का विस्तार कराने, गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने, गैर-विद्युतीकृत गांवों में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) के सृजन तथा आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ किए जाने सहित ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। गांवों में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य संबंधित ग्राम की ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3868.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत निवेश के क्षेत्र में

3868- विद्युत निवेश, नई दिल्ली

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है;
- (ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और अभी तक चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं या सरकार ऐसे कदम उठाने का विचार रखती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक निजी क्षेत्र निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2009&10	2010&11	2011&12	2012&13
ताप विद्युत परियोजनाएं	36764	70028	90551	52511
जल विद्युत परियोजनाएं	5517	5855	3436	1622
पारेषण	2965	3602	2294	—
वितरण	2815	2103	1737	—
कुल निवेश	48061	81588	98018	54133

- वर्ष 2012-13 के लिए पारेषण और वितरण के अनुसार अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- वर्ष 2011-12 के लिए पारेषण आंकड़े निजी निवेश (ईसीपीआई) संबंधी विशेषज्ञ समिति को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।
- उत्पादन संबंधी आंकड़ों में कैप्टिव विद्युत संयंत्र नवीकरणीय और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र शामिल नहीं हैं।
- (पी) अनंतिम

1/2 व 1/2 वर्तमान नीति के अनुसार, निम्नलिखित के लिए ऑटोमेटिक रूट के अधीन, विद्युत क्षेत्र में 100% तक प्रत्येक विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

- (i) जल विद्युत, कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप, तेल आधारित ताप और गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और पारेषण।
- (ii) गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन और वितरण।
- (iii) घरेलू औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य उपयोगकर्ताओं को चयनित ऊर्जा का वितरण और
- (iv) पावर ट्रेडिंग।

तदनुसार, एफडीआई रूट के माध्यम से कोई भी विदेशी विद्युत कंपनी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3869.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

t EewvK\$ d'ehj eajk'Vh; t y fo | q fuxe
dh fo | q i fj; kt uk a

3869- Jh t hñ , uñ jrui qh%

क्या fo | q मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना की स्थापना का कुल व्यय कितना-कितना है;
- (ख) आज की तारीख तक प्रत्येक विद्युत परियोजना का ह्रासित अंकित मूल्य क्या है; और
- (ग) वे शर्तें क्या हैं जिनके अधीन इन परियोजनाओं के तहत जमीन गृहीत की जाती है और परियोजना-वार मुआवजा/किराया, यदि दिया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) - जम्मू और कश्मीर में एनएचपीसी लिमिटेड की प्रत्येक विद्युत परियोजना की स्थापना पर कुल व्यय और उसका मूल्यह्रास अंकित मूल्य **अनुबंध-I** पर है।

(ग) - वे शर्तें जिनके अंतर्गत इन परियोजनाओं में भूमि गृहीत की जाती है और दिए गए मुआवजे/किराए का परियोजना-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है।

अनुबंध-1

30.04.2013 को उत्तरार्थ राज्य सभा के अतारंकित प्रश्न संख्या 3869 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

(31.12.2012 की स्थिति के अनुसार आँकड़े)

परियोजना का नाम	स्थापना पर व्यय (करोड़ रूपए में)	मूल्यहास बुक मूल्य(करोड़ रूपए में)
सलाल विद्युत केंद्र	963.94	433.72
उरी-1 विद्युत केंद्र	3493.99	2016.61
दुलहस्ती विद्युत केंद्र	5186.19	3882.37
सेवा-11 विद्युत केंद्र	1088.46	950.01
चुटक विद्युत केंद्र	813.53	810.26
उरी-11 परियोजना*	1970.15	1970.15
किशनगंगा परियोजना*	2062.44	2062.44
बरसर परियोजना*	131.77	131.77
निम्मोबाज़गो परियोजना*	848.37	848.37
कीरू परियोजना*	96.07	96.07
कुल	16654.91	13201.77

नोट : उपर्युक्त आँकड़े परियोजनाओं की पूँजी लागत हैं ।

* निर्माणाधीन/सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

30.04.2013 को उत्तरार्थ राज्य सभा के अतारंकित प्रश्न संख्या 3869 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

1. सेवा-II विद्युत केंद्र

विद्युत केंद्र के कब्जे के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर भूमि या तो पट्टे वाली है या प्रयोग के अधिकार वाली है । दिए गए मुआवजे सहित भूमि की कुल लागत 8.95 करोड़ रूपए तक है ।

2. सलाल विद्युत केंद्र

सलाल विद्युत केंद्र से संबंधित भूमि का अधिग्रहण जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से पूर्व नाम हिन्द सरकार (भारत सरकार) द्वारा किया गया था । जिला राजस्व प्राधिकरण, रियासी, जम्मू और कश्मीर राज्य के माध्यम से भूस्वामी को भूमि का दिया गया मुआवजा 7,02,47,439 रूपए था ।

3. उरी विद्युत केंद्र

भूमि का अधिग्रहण एनएचपीसी लिमिटेड के कब्जे के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया गया था । उरी विद्युत केंद्र की भूमि के संबंध में दिए गए मुआवजे/किराए की कुल राशि 9.71 करोड़ रूपए है ।

4. उरी-II जल विद्युत परियोजना

उरी-II जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अधिगृहीत भूमि "पट्टा आधार" पर है । भू-स्वामी को संवितरण के लिए जिलाधीश भूमि अधिग्रहण उरी-II के पास केंद्र भूमि के मुआवजे और आर एंड आर के लिए 44.79 करोड़ रूपये की राशि जमा करवा दी गई है ।

5. किशनगंगा परियोजना

परियोजना के निर्माण के लिए अधिगृहीत भूमि पट्टा आधार पर धारित है । जिलाधीश भूमि अधिग्रहण, बान्दीपोरा/गुरेज को दी गई कुल मुआवजा राशि 234.75 करोड़ रूपए है ।

6. निम्नो बाज़गो परियोजना

परियोजना के निर्माण के लिए अधिगृहीत भूमि पट्टा आधार पर धारित है । भूस्वामियों को दिया गया कुल मुआवजा 1,45,67,176 रूपए है ।

7. चुटक परियोजना

परियोजना के निर्माण के लिए अधिगृहीत भूमि विक्रय विलेख के माध्यम से निजी भूमि, 40 वर्षों के लिए पट्टा विलेख के माध्यम से जेकेपीडीसी हस्तांतरण भूमि, राज्य सरकार की भूमि और 99 वर्षों के लिए पट्टा विलेख के माध्यम से पीडीडी से भूमि के अंतर्गत धारित है । भूमि के लिए दिया गया कुल मुआवजा 4.52 करोड़ रूपए है ।

8. दुलहस्ती विद्युत केंद्र

जम्मू और कश्मीर सरकार, मंत्रिमंडल का निर्णय, एनएचपीसी को भूमि पट्टे पर देने की निबंधन एवं शर्तों के लम्बित निपटारे के संबंध में, दुलहस्ती विद्युत केंद्र के निर्माण, चालू करने, प्रचालन एवं अनुसंधान के लिए भूमि जम्मू और कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार एनएचपीसी की लागत पर राज्य के नाम से अधिगृहीत की गई है और किराएदारी कालम में दुलहस्ती परियोजना/एनएचपीसी लिमिटेड के कब्जे को शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त, इन्हीं निर्दिष्ट निर्णयों के अनुरूप, समर्थित दस्तावेजों के साथ भूमि के मामलों को 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे की मँजूरी और

उसकी निबंधन एवं शर्तों के निपटारे के लिए, उपायुक्त, डोडा विलेख और मंडलीय आयुक्त, जम्मू के माध्यम से विधिवत रूप से सत्यापन के पश्चात जम्मू और कश्मीर राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है। भूमि के मुआवजे के लिए 4,00,27,293/-रूपये की राशि दी जा चुकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3870.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

ऊर्जा, विद्युत, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

3870- श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बारहवीं योजना हेतु व्यवहार्य ऊर्जा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऊर्जा नीति न होने से ऊर्जा अवरोध अर्थव्यवस्था की 9 प्रतिशत विकास दर हासिल करने की क्षमता को सीमित कर देगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

जी, हां। भारत के योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के ऊर्जा अध्याय में बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान देश के लिए ऊर्जा कार्यनीति के ब्यौरे उपलब्ध कराये गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों अर्थात् कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दिए गए कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

योजना आयोग द्वारा तैयार की गई कार्यनीति से देश को 8 से 9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3871.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

fo | q mRi knu dk l p; h fodkl

3871- Jh , uñ dñ fl 8%

क्या fo | q मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वर्ष 2011-12 में अप्रैल-फरवरी में विद्युत उत्पादन के संचयी विकास की 8.7 प्रतिशत की दर की तुलना में वर्ष 2012-13 में इसी अवधि में यह दर 4.0 प्रतिशत थी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार भारत में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु उपायों पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी, हाँ। अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 के दौरान विद्युत उत्पादन में संचयी वृद्धि, 2011-12 की इसी अवधि की 8.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 4.0 प्रतिशत थी। 2011-12 तथा 2012-13 (अप्रैल-फरवरी) की विद्युत उत्पादन की तुलनात्मक/संचयी वृद्धि के विवरण नीचे दिए गए हैं:

उत्पादन बी.यू. में (अप्रैल से फरवरी)					
श्रेणी	2010- 11 (वास्तविक)	2011- 12 (वास्तविक)	वृद्धि % में	2012-13*	वृद्धि % में
थर्मल	601.76	642.66	6.80	691.87	7.66
न्यूक्लियर	23.31	29.43	26.22	30.16	2.50
हाइड्रो	104.98	122.04	16.25	104.95	-14.01
भूटान से आयात	5.55	5.20	-6.29	4.74	-8.90
कुल	735. 61	799.33	8.66	831.72	4.05

*अंतिम (25 मेगावाट तक के केंद्रों के उत्पादन को छोड़कर)

अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न वृद्धि दर के निम्नलिखित कारण हैं-

1. जल विद्युत उत्पादन (भूटान से निर्यात सहित) में 12.8% की नकारात्मक वृद्धि दर, मुख्य रूप से 2011-12 के दौरान बहुत अच्छे मानसून की तुलना में, 2012-13 के खराब मानसून, विशेषकर दक्षिणी, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, के कारण।

2. वर्ष 2012- 13(फरवरी, 2013 तक) का गैस आधारित उत्पादन 2011- 12(फरवरी, 2012 तक) के 86.097 बीयू के उत्पादन की तुलना में 62.634 बीयू था। 27.3% की नकारात्मक वृद्धि का मुख्य कारण अपर्याप्त ईंधन उपलब्धता और केजीडी-6 बेसिन से गैस की उपलब्धता में तेज गिरावट था।

3. कुडांकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के चालू होने में विलंब के कारण नाभिकीय उत्पादन में वृद्धि लक्ष्य से कम है।

(ग) और (घ): भारत में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं:

- वर्तमान पुराने ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए संबंधित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाता है।
- बाधा क्षेत्रों को चिह्नित करने और उनके तीव्र समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, सचिव, विद्युत मंत्रालय, अध्यक्ष, सीईए द्वारा शीर्षस्थ स्तर पर समीक्षा की जा रही है ताकि परियोजनाएं समय पर चालू हों।
- बाधा क्षेत्रों को चिह्नित करने तथा अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों को तीव्र समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा की जा रही है।
- व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम अवधि के बीच मांग में विस्तृत भिन्नता होने के परिप्रेक्ष्य में, ग्रिड में उच्च रेंप दरों वाले व्यस्ततम विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता है। सरकार देश में व्यस्ततमकालीन विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए संभाव्य और व्यवहार्य परिदृश्य को सुविधाजनक बनाने में शामिल विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई कर रही है।
- विद्युत क्षेत्र को कोयला और गैस उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रालयी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3872.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

नसक एवुद फोर तु क्फर; कएवुद फोर तु तु क्फर; क
दस्यलसक दस? क्जल क्दक फो | क्हदज. क

3872- Jh vEcfk jkt u%

क्या fo | क् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश में 442.27 लाख अनुसूचित जातियों और 233.29 लाख अनुसूचित जनजातियों के परिवारों में से केवल 261.05 लाख अनुसूचित जातियों और 120.60 लाख अनुसूचित जनजातियों के परिवार मुख्य प्रकाश स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग करते हैं;
- (ख) क्या सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के घरों की विद्युतीकरण की यह दर अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल घरों का लगभग 50± सन्तोषजनक है; और
- (ग) निकट भविष्य में देश में और अधिक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) - 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार देश में 442.27 लाख घर अनुसूचित जातियों (एससी) के तथा 233.29 लाख घर अनुसूचित जन-जातियों (एसटी) के हैं । उपर्युक्त में से 261.05 लाख अनुसूचित जाति के घरों था 120.60 लाख अनुसूचित जनजाति के घरों में प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) - भारत सरकार ने ग्रामीण घरों को बिजली की पहुँच उपलब्ध कराने हेतु अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण के सृजन के लिए "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-कार्यक्रम" की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के घरों सहित 274.98 लाख गरीबी रेखा से नीचे के घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए जाने हेतु शामिल किया गया है । संचयी रूप से, 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के घरों सहित 207.21 लाख गरीबी रेखा से नीचे के घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं । भारत

सरकार ने निधियों की उपलब्धता के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के घरों सहित शेष गांवों/बस्तियों/गरीबी रेखा से नीचे के घरों को शामिल करने के लिए 12वीं योजना के दौरान आरजीजीवीवाई को जारी रखने का प्रस्ताव किया है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3873.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

उत्तर क्र. 3873

3873- श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्य अपने आर. पी. ओ. दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं और गुजरात जैसे कुछ राज्य आर.पी.ओ. से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि गुजरात जैसे कुछ राज्य आर. पी. ओ. से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पैदा कर रहे हैं; और
- (ग) क्या सरकार अपने आर. पी. ओ. दायित्व से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने वाले राज्यों को कुछ लाभ (इन्सेन्टिव) देने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ड) में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी)/ संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) को उनके राज्यों में आब्लीगेटेड एन्टीटीज के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.) लक्ष्य निर्धारित करने का अधिदेश दिया गया है । उक्त धारा का उद्धरण नीचे दिया गया है-

86(1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात:

.....

" (ड) ग्रिड से जोड़ने तथा किसी व्यक्ति को विद्युत की बिक्री करने के लिए उचित उपाय करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के सह उत्पादन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा साथ ही ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए वितरण लायसेंसी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत का प्रतिशत निर्धारित करना; "

आब्लीगेटेड एन्टीटीज द्वारा आरपीओं का अनुपालन करना संबंधित एसईआरसी/जेईआरसी का दायित्व है तथा इस संबंध में राज्य सरकारें उपयुक्त सरकार होंगी ।

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ड) के अनुसरण में, आयोग ने जीईआरसी (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद), विनियम, 2010 के माध्यम से, आब्लीगेटेड एन्टीटीज द्वारा पूरा किए जाने के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) विनिर्दिष्ट किये हैं ।

जीईआरसी वितरण लायसेंसियों द्वारा आरपीओ का पालन किए जाने का प्रबोधन करता है और वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 के आरपीओ के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, इसने 2012 की याचिका संख्या 1219 में अपनी ओर से कार्यवाही शुरू की थी । उक्त याचिका में दिनांक 17.8.2012 के आदेश में, जीईआरसी ने राज्य और वितरण लायसेंसियों (जीयूवीएनएल) तथा राज्य के अन्य प्रमुख लायसेंसियों यथा टोरेंट पावर लि0 (टीपीएल) द्वारा किए गए अनुपालन को निम्नानुसार रिकार्ड किया है:

वर्ष	2010-11			2011-12		
	सौर (%)	गैर सौर (%)	कुल (%)	सौर (%)	गैर सौर (%)	कुल (%)
आरपीओ प्रतिशतता (%)	0.25	4.75	5	0.5	5.5	6
आरपीओ अनुपालन (%)						
(i) जीयूवीएनएल	0.00	3.06	3.06	0.25	4.35	4.60
(ii) टीपीएल	0.00	0.95	0.95	0.00	5.48	5.48

इसके अतिरिक्त, जीयूवीएनएल द्वारा सूचित किया गया है कि इसने 971.5 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें से कुल 852 मेगावाट की परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं तथा आशा है कि 2012-2013 के दौरान सौर विद्युत का कुल क्रय वर्ष के उनके सौर आरपीओ से अधिक (अर्थात् 1%) होगा ।

(ग)- वितरण लायसेंसियों द्वारा उनके नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा के प्रापण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) जारी करने के रूप में प्रोत्साहन के संबंध में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने सूचित किया है कि आरईसी बाजार के विकास के इस चरण में आरईसी जारी किए जाने की पात्रता का, उत्पादन कंपनियों तक सीमित वर्तमान प्रावधान पर्याप्त है । आयोग का विचार है कि आरपीओ अनुपालन का दायित्व एसईआरसी/जेईआरसी का होने के कारण, डिस्कॉम्स की उनके

आरपीओ से अधिक आरईसी की पात्रता के सत्यापन से चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसे इस समय टाला जाना चाहिए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3874.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रणाली विकास कोष

3874- विद्युत प्रणाली विकास कोष

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार अन्तर-क्षेत्रीय संप्रेषण गलियारों के विकास हेतु "विद्युत प्रणाली विकास कोष" स्थापित करने का विचार रखती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) गलियारों के विकास हेतु निवेश की जाने वाली निधियों की संभावित मात्रा कितनी होगी;
- (घ) विद्युत पारेषण परियोजनाओं को स्थापित करने का राज्य-वार और क्षमता-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) विद्युत की कमी वाले राज्यों को अधिशेष विद्युत उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क), (ख) और (ग) : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियमन, 2010 अधिसूचित किया है तथा 'विद्युत प्रणाली विकास निधि' नामक निधि का गठन किया है । इस निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रचालन के वास्तविक समय में संकुलन मुक्त करने के उपाय) विनियम, 2009 के अनुसार संकुलन (कंजेशन) प्रभार खाता ।
- (ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक अयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 के अनुसार संकुलन राशि ।

- (iii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (गैर-निर्धारित इंटरचेंज प्रभार और संबंधित मामले) विनियम, 2009 के अनुसार गैर-निर्धारित इंटरचेंज पूल लेखा निधि ।
- (iv) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड सहित) विनियम, 2010 के अनुसार रिएक्टिव एनर्जी चार्ज अकाउंट ।
- (v) आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य प्रभार ।

सीईआरसी (विद्युत प्रणाली विकास निधि), विनियम, 2010 के अनुसार इस निधि का उपयोग आयोग द्वारा विनिर्धारित संगत विनियमों में अनुमत्य उद्देश्यों के लिए किया जाना है । संबंधित विनियमों के प्रावधानों का सार जिसमें वित्त पारेषण की जा सकने वाली योजना के प्रकार को दर्शाया गया है, **अनुबंध-I** पर है ।

इस निधि को अभी प्रचालनात्मक किया जाना है तथा किसी भी परियोजना/योजना के वित्त पोषण के लिए कोई निधि वितरित नहीं की गई है ।

(घ)- 12वीं योजनावधि के लिए भावी योजना के अनुसार पारेषण प्रणाली हेतु कार्यक्रम नीचे सारणी में दिया गया है:

क्रम सं.	वोल्टेज स्तर	12वीं योजनावधि के दौरान संभावित वृद्धि	
		पारेषण लाइनें(सीकेएम)	उप केंद्र(एमवीए)
एसी प्रणाली			
1	220 केवी	35000	76000
2	400 केवी	38000	45000
3	765 केवी	27000	149000
कुल (एचवीडीसी प्रणाली को छोड़कर)		100000	270000
एचवीडीसी प्रणाली		7440	12750

12वीं योजना के दौरान पारेषण प्रणाली के विकास के लिए कुल 2,00,000 करोड़ रुपये तक की निधि का अनुमान लगाया गया है । 12वीं योजनावधि के दौरान संयोजन हेतु नियोजित अंतर क्षेत्रीय पारेषण संपर्कों की सूची **अनुबंध-II** पर है।

(ङ)- देश के अधिकतर राज्यों में विद्युत की समग्र कमी है । विद्युत की यह कमी, विद्युत की मांग और उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य दर राज्य, माह-दर-माह और दिन-प्रति-दिन-आधार पर, भिन्न-भिन्न होती

है। अवधि के दौरान, कुछ राज्यों में विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, मौसमी आधार पर अथवा महीने में कुछ दिनों के लिए, अथवा किसी दिन/वर्ष में कुछ घंटों में लिए, विद्युत अधिशेष होती है। राज्य सामान्यतः इस अधिशेष विद्युत का निस्तारण पावर एक्सचेंजों, ट्रेडिंग लाइसेंसधारियों और द्विपक्षीय करारों के माध्यम से करते हैं ।

विद्युत की कमी वाले राज्यों में अधिशेष विद्युत का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य के साथ-साथ (i) दक्षिणी ग्रिड का एनईडब्ल्यू ग्रिड के साथ सिन्क्रोनस इंटरकनेक्शन, (ii) 12वीं योजना के दौरान 38,000 मेगावाट की अतिरिक्त अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सृजन, (iii) विद्युत के प्रचुर उत्पादन के क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत के अंतरण के लिए उच्च क्षमता के पारेषण गलियारों सहित अंतर-राज्यीय पारेषण लाइनों का सुदृढीकरण/विकास, (iv) पावर एक्सचेंजों की स्थापना करना, (v) ओपन एक्सेस का प्रचालनीकरण करने के लिए विनियम आदि शामिल हैं ।

राज्य सभा में दिनांक 30.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

वित्तपोषित की जा सकने वाली स्कीमों के प्रकार दर्शाने वाले संबंधित विनियमों के प्रावधान निम्नलिखित हैं-

(i) यूआई पूल लेखा:इसंदर्भ: दिनांक 30.3.2009 के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(अनिर्धारित अंतर्संपर्क प्रभार एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2009 ।

विनियम 11: यूआई के माध्यम से एकत्रित निधि का अनुप्रयोग

(1) उत्पादन स्टेशनों तथा लाभग्राहियों के अनिर्धारित अंतर्संपर्क प्रभारों के दावों के अंतिम निपटान के बाद यूआई पूल लेखे में शेष राशि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार एक अलग निधि में अंतरित की जाएगी और इसका उपयोग आयोग की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित में से किसी एक अथवा दोनों गतिविधियों के लिए किया जाएगा:

(क)- नीतिगत महत्व की पारेषण स्कीमों में निवेश करना, बशर्ते कि केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से ऐसी नीतिगत महत्व की अंतर्राज्यीय पारेषण स्कीमों की पहचान करेगी जिनका इष्टतम स्तर तक उपयोग नहीं किया जा रहा है, और प्रारंभिक वर्षों में पूंजीगत लागत का भुगतान करने के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी ।

बशर्ते कि, इसके अतिरिक्त जब नीतिगत महत्व की पारेषण स्कीमों में शामिल ऐसी पारेषण लाइन अथवा पारेषण प्रणाली का उपयोग, उपयोग के इष्टतम स्तर पर पहुँचे, तो ऐसी स्कीम की लागत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप स्कीम के उपयोगकर्ताओं से वसूली जाएगी ।

(ख) ग्रिड सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया के अनुरूप, इनके द्वारा चिन्हित निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी के दौरान " भार उत्पादन संतुलन " सहित सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना परंतु ये सेवाएं इस तक ही सीमित नहीं रहेंगी:

2) इस विनियम के खंडों के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आबंटन योग्य निधि की राशि का निर्णय समय-समय पर आयोग द्वारा किया जाएगा ।

(ii) रिएक्टिव इनर्जी अकाउंट: इसंदर्भ: दिनांक 28.4.2010 के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010ट

पूरक वाणिज्यिक तंत्र का पैरा 13:

प्रतिवर्ष 31 मार्च तक सभी वीएआर प्रभारों का भुगतान करने के बाद क्षेत्रीय रिएक्टिव लेखे में शेष धन राशि का इस्तेमाल एसएलडीसी प्रचालकों के प्रशिक्षण और इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो संबंधित आरपीसी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय ग्रिडों के प्रचालन में सुधार करने/सुचारु रूप से प्रचालन करने में सहायक होगा ।

(iii) कन्जेशन चार्ज्स अकाउंट: इस्संदर्भ: दिनांक 28.4.2010 के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 ट ।

12. कन्जेशन चार्ज्स का उपयोग: विनियम 8 में उल्लिखित लेखा में घटकों से एकत्रित किए गए कन्जेशन चार्ज्स की अवितरित राशि का उपयोग, आयोग के पूर्व अनुमोदन से, जिसमें विनियम 8 के अंतर्गत अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, अंतर क्षेत्रीय संपर्कों का इष्टतम उपयोग, विशेष सुरक्षा स्कीमों की स्थापना, शंट कैपेसिटर्स की स्थापना, आदि के लिए विशिष्ट प्रणाली अध्ययन करने सहित कन्जेशन मुक्त करने के लिए किया जाएगा, किंतु इन तक सीमित नहीं होगा ।

बशर्ते कि, क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों/किसी अन्य कंपनी जिसे इस धनराशि के अनुरक्षण और प्रचालन का कार्य सौंपा गया है, को अवितरित राशि और उसके उपयोग का ब्यौरा देते हुए छमाही आधार पर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।

(i) पावर एक्सचेंज कन्जेशन राशि: इस्संदर्भ: दिनांक 20.1.2010 के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 ट ।

33. विद्युत एक्सचेंज कन्जेशन राशि प्रबंधन

(i) विद्युत एक्सचेंज बाजार के बिखराव के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बाजार मूल्यों में अंतर से उत्पन्न कन्जेशन राशि में विनिहित किया जाए ।

यह कन्जेशन राशि, पावर एक्सचेंज द्वारा एक अलग लेखे में रखी जाएगी, जिसे आयोग के निदेशानुसार अगले कार्यदिवस को विनियामक निधि में अंतरित करना होगा ।

बशर्ते कि, जब तक कि उक्त कथित निधि का सृजन नहीं कर लिया जाता, कन्जेशन राशि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के लेखे में अंतरित की जाएगी और ऐसी निधि सृजित कर लिए जाने पर एनएलडीसी कन्जेशन राशि ऐसी निधि के पक्ष में अंतरित कर देगा ।

(ii) कन्जेशन राशि निधि का उपयोग आयोग के निदेशों के अनुरूप किया जाएगा । आयोग निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करने पर विचार कर सकता है:-

(क)- वीएआर कंपेसेटर्स, सीरीज कंपेसेटर्स और अन्य प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा जेनेरेटर्स की स्थापना ।

(ख)- कन्जेशन दूर करने के लिए अतिरिक्त पारेषण क्षमता का सृजन ।

(ग)- कन्जेशन में कमी लाने के लिए ग्रिड का तकनीकी अध्ययन कराना ।

(घ)- कन्जेशन राशि निधि को ग्रिड में कन्जेशन में कमी लाने हेतु विशिष्ट परियोजनाओं को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास रखा जाए ।

(ङ)- क्षमता निर्माण के उपाय करना और विद्युत एक्सचेंजों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देना ।

(च)- विद्युत एक्सचेंजों के प्रतिभागियों के लिए सूचना प्रसार क्रियाविधि विकसित करना ।

(त्त) केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र अथवा विद्युत एक्सचेंज, कन्जेशन राशि निधि से उपयोग के लिए उपरिवर्णित प्रयोजनों के अनुसार विशिष्ट प्रस्तावों के साथ आयोग से संपर्क कर सकते हैं ।

राज्य सभा में दिनांक 30.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

12वीं योजनावधि के दौरान संयोजन हेतु नियोजित अंतर क्षेत्रीय पारेषण संपर्कों की सूची

12वीं योजना के लिए नियोजित अंतर क्षेत्रीय पारेषण संपर्कों का ब्यौरा
अंतर क्षेत्रीय संपर्क
पूर्व क्षेत्र- उ. क्षेत्र:
गया-वाराणसी 765 केवी एस/सी
बाढ़-गोरखपुर 400 केवी डी/सी क्वाड
सासाराम-फतेहपुर 765 केवी एस/सी-लाइन#2
पू.क्षे.-प. क्षेत्र:
रांची-प. क्षेत्र(बिलासपुर)सीपत पूर्लिंग प्वाइंट 765 केवी एस/सी वाया धर्मजयगढ़
रांची-धर्मजयगढ़ 765 केवी एस/सी
झारसुगुडा-धर्मजयगढ़ 765 केवी डी/सी
पू. क्षे.-पूर्वोत्तर क्षे.:
बोंगाईगांव-सिलिगुड़ी 400 केवी डीसी अलीपुरद्वार क्वाड एलआईएलओ किए जाने हेतु
उ.क्षे.- प. क्षे.
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाइन-1 765 केवी पर (पूर्व में 400 केवी पर)
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाइन-2 765 केवी पर (पूर्व में 400 केवी पर)
ग्वालियर-जयपुर 765 केवी एस/सी# 1
ग्वालियर-जयपुर 765 केवी एस/सी# 2
12वीं योजना के लिए नियोजित अंतर्क्षेत्रीय पारेषण संपर्कों के ब्यौरे
अंतर्क्षेत्रीय संपर्क
आरएपीपी सी एंड डी-शुजालपुर 400 केवी डी/सी
चम्पा-कुरूक्षेत्र+/- 800 केवी 6000 एमडब्ल्यू एचवीडीसी बाइपोल लाइन, चरण- ।
प. क्षे.-द. क्षे.:
नरेन्द्र(कुडगी) (जीआईएस)- कोल्हापुर (न्यू) 765 केवी डी/सी लाइन (प्रारंभ में 400 केवी पर चार्ज्ड)
रायचुर-शोलापुर 765 केवी एस/सी# 1
रायचुर-शोलापुर 765 केवी एस/सी# 2
पूर्वो.क्षेत्र/पू. क्षे.-उ.क्षे/प. क्षे.
विश्वनाथ चरियाली-आगरा ± 800 केवी, 3000 मेगावाट एचवीडीसी बाइपोल

अलीपुरद्वार में नये पूर्लिंग स्टेशन पर + 800 केवी विश्वनाथ चरियाली का एलआईएलओ -आगरा एचवीडीसी बाइपोल और दूसरे 3000 मेगावाट एचवीडीसी का संयोजन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3875.

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

, uñ Vñ i hñ l hñ }kjk ckg; okf.kT; d उधार

3875- Jh un d qj l k %

क्या fo | q मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एन. टी. पी. सी. ने अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक और मिजूहो कारपोरेट बैंक लिमिटेड के साथ सावधि ऋण सुविधा हेतु कोई समझौता किया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके निबन्धन एवं शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में कम्पनियों के लिए कोई बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई. सी. बी.) संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं;
- (घ) यदि हां, तो उक्त दिशानिर्देशों के अधीन 2012-13 के दौरान एन. टी. पी. सी. द्वारा जुटाई गई ई. सी. एस. का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त अवधि के दौरान एन. टी. पी. सी. द्वारा ऐसे ई. सी. बी. के लक्ष्यों की किस सीमा तक प्राप्ति की गयी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी, हां।

(ख) :

निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा	
ऋणदाता एवं राशि	भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयॉर्क शाखा-225 मिलियन अमेरिकी डॉलर और मिजूहो कारपोरेट बैंक लिमिटेड, सिंगापुर शाखा-25 मिलियन अमेरिकी डॉलर हेतु 29 जनवरी, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।
प्रयोजन	चल रही एवं नई परियोजनाओं तथा कोयला खनन परियोजना के वित्त पोषण हेतु पूंजीगत व्यय तथा एनटीपीसी स्टेशनों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना।
पुनर्भुगतान	29 जुलाई, 2019 एवं 29 जनवरी, 2020 को 50% प्रत्येक की दो किश्तें।

(ग) : जी, हां।

(घ) : एनटीपीसी द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक की दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित बाह्य वाणिज्यिक उधारों के रूप में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ईसीबी जुटाई गई :

- 2022 को देय सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर।
- भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयॉर्क एवं मिजूहो कारपोरेट बैंक लिमिटेड, सिंगापुर से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सावधि ऋण सुविधा।

ड्रॉडॉउन से पूर्व ईसीबी दिशा-निर्देशों के अनुसार दोनों उपर्युक्त ईसीबी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) प्राप्त कर लिया गया है।

(ङ) : ईसीबी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को ऑटोमैटिक रूट द्वारा प्रतिवर्ष 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की अनुमति प्रदान की गई है। कंपनी ने इस सीमा को वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्णतः प्राप्त कर लिया है।
